

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935

No. 265]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2013

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय :-सऊदी अरेबिया और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हेक्सामाइन के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के संबंध में ।

सं. 15/1000/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया और रूस (जिन्हें एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) से आयातित हेक्सामाइन के सम्बंध में मूल जांच 20 फरवरी, 2001 को प्रारंभ की थी। इस मूल जांच का अंतिम जांच परिणाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिसूचना सं. 12/1/2000-डीजीएडी के तहत दिनांक 15 फरवरी, 2002 को जारी किया गया था और यतः, केन्द्रीय सरकार ने सऊदी अरेबिया और रूस से हेक्सामाइन के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण दिनांक

27 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 31/2002-सीमा-शुल्क के तहत दिनांक 28/6/2001 से किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन की निरन्तरता और उसकी संभावना तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करने के लिए प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत दिनांक 15 जून, 2006 की अधिसूचना के तहत की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 14 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 08/1/2001 (एसएसआर) डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे तथा पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में संवर्धन करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार ने सम्बद्ध देशों से हेक्सामाइन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की संवर्धित प्रमात्रा का अधिरोपण करते हुए दिनांक 25 जुलाई, 2007 को अपनी अधिसूचना सं. 89/2007-सीमाशुल्क जारी की थी।

1. यतः, मैसर्स सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, वड़ोदरा तथा मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अंकलेश्वर ने संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यातित हेक्सामाइन के पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र दायर किया है और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसमें संशोधन करने तथा उसकी निरन्तरता बनाए रखने का अनुरोध किया है।
2. और उस पर, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम, 23 के साथ पठित पाटनरोधी अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्रभावी शुल्क के सतत अधिरोपण की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन और क्षति की निरन्तरता बने रहने की संभावना है, द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 17 जुलाई, 2012 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
3. और यतः, अधिनियम की धारा 9क(5) में दी गई शर्तों के अनुसार दिनांक 25 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 89/2007-सीमाशुल्क के तहत यथा-अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 06 अगस्त, 2012 की अधिसूचना पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 06 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. 38/2012-सीमाशुल्क के तहत दिनांक 24 जुलाई, 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है:
 - i. प्राधिकारी को, सऊदी अरेबिया और रूस से हेक्सामाइन (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर प्रभावी शुल्क की समीक्षा करने, उसका संवर्धन करने और उसकी निरन्तरता बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स सिमालिन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वड़ोदरा और मैसर्स कानोरिया कैमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अंकलेश्वर से एक विधिवत साक्ष्यांकित समीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी निरन्तरता बनाए रखने और उसका संवर्धन करने के लिए अनुरोध करते हुए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
 - ii. जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करने का निश्चय किया है।
 - iii. वर्तमान समीक्षा के दायरे में पिछली अधिसूचनाओं के सभी पहलुओं को कवर किया जाता है।
 - iv. इस जांच की शुरुआत के बारे में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार सम्बद्ध देशों के भारत स्थित राजदूतावासों को इसकी सूचना दी गई।

- v. प्राधिकारी ने 17 जुलाई, 2012 की जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रतियां, प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सम्बद्ध देशों के राजदूतावासों, सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। इस जांच के पक्षकारों से निर्धारित स्वरूप और ढंग में प्रश्नावली के प्रत्युत्तर दर्ज करने और निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अनुरोध किया गया। निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ सम्बद्ध देशों के राजदूतावासों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे सम्बद्ध देशों से अन्य निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर इस प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देने का सुझाव दें।
- vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सम्बद्ध देशों से निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को संगत जानकारी स्पष्ट करने के लिए प्रश्नावलियां भेजी गई थीं।

जोल्ट कंपनी लिमिटेड 62, कारिआ मार्क्स एवेन्यू कामेनश्क-शक्तिन्स्की, रोस्टोव क्षेत्र रुस	ट्राइगन गल्फ फ्यू (व्यापारी) पी.ओ. बाक्स 01408 जुबई, अली, दुबई, यू ए ई
कैमिरु, रशियन फेडरेशन, 454008, चिल्याबिन्स्क, वेईलोबिन्स्की प्रस्पेक्ट-2, सूट-325, रुस	2 श्चेकिनोआजोट यूनाइटेड कैमिकल कंपनी ट्रेडिंग हाउस, "श्चेकिनोआजोट" लिमिटेड 7 सिम्फेरोपोल्स्काया स्ट्रीट परवोमेस्की श्चेकिनो जिला, तुला क्षेत्र, रुस, 301212
कैमानोल एच ओ नोवोटेल् बिजनेस पार्क दम्माम-खोबर राजमार्ग, बिल्डिंग संख्या 3, प्रथम तल, पी.ओ. बाक्स-3139 दम्माम- 31471 किंगडम आफ सऊदी अरेबिया	कैमानोल वर्क/अदर ए 1 जुबैल इंडस्ट्रियल एरिया रोड-251 क्रासिंग-198 पी.ओ.बाक्स-2101, जुबैल-31951 किंगडम आफ सऊदी अरेबिया
मेटाफ्रैक्स संयुक्त स्टाक कंपनी मेटाफ्रैक्स, गुवाखा, प्रेम क्षेत्र, रुस 618250	

- vii. प्राधिकारी को मेथनोल कैमिकल कंपनी (कैमनोल), किंगडम आफ सऊदी अरेबिया से प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि यह प्रश्नावली मेटाफ्रैक्स, रुस को भेजी गई थी, परंतु रुसी परिसंघ के किसी भी निर्यातक/उत्पादक से प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, भारत गणराज्य में रुसी परिसंघ के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने रुसी परिसंघ और मेटाफ्रैक्स तथा आर एम एफ कैमिकल्स एस ए की ओर से कुछ विधिक प्रस्तुतिकरण किए जिन पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में, जांच के संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया।
- viii. भारत में सम्बद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को आवश्यक सूचना मांगते हुए प्रश्नावली भेजी गई:

शुभम कैमिकल एंड साल्वेंट लिमिटेड 1/26, रुप नगर, दिल्ली-110007	अशोका मार्केटिंग एजेन्सीज 168 गोविन्दाप्पा, नाइकन स्ट्रीट पैरीस गोविन्दाप्पा, नाइकन स्ट्रीट पैरीस माउण्ट रोड, चेन्नै-600001
ईस्टरकोटे प्राइवेट लिमिटेड 14, द्वितीय तली बलराम रोड, अडयार	गार्गी हटेन्स प्राइवेट लिमिटेड- एल्बर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 203, वसंत विहार काम्प्लेक्स, चैम्बूर, मुम्बई-400074

चेन्नै-600020	
साकेत कैमिकल्स एस्प्लान्डे मैन्शन कालाघोड़ा, सायन, मुम्बई-400022	दुजोवाला पेपर कैम 8/2/813 तुलसियानी चैम्बर्स, 8वां तल, 212 नरीमन प्वाइंट, मुम्बई
आईवीपी लिमिटेड गोलमुरी जमेशदपुर-83103	टी.आर.कैमिकल्स प्रा. लि. शुभहान चौक, माल रोड, राजगन्गुर, उड़ीसा-770017
बल्लभगढ़ एचपीएल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. प्लाट नं. 72, सेक्टर-25, फरीदाबाद-121001	शिवम एडहेसिब्ज प्रा. लि. 106 भगतसिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान
आईवीपी लिमिटेड डी-19, एमआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, वोसार, तारापुर-तहसील पलघर, जिला-थाणे	फोसीको इंडिया लि. गेट नं.922 एंड 923, सनसवादी, तालुका शिरूर, जिला-पुणे-412208
नेशनल कैमिकल इंडस्ट्रीज एफ-25 मल्टीमेटल चम्बल इंडस्ट्रियल एरिया के सामने, केमिकल सप्लाइज कोटा-324005	राजस्थान कोटिंग्स एंड कैमिकल्स, जी-572ए फेस-II, मियां बसनी, जोधपुर
डिमैको पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड, 12/6, माइलस्टोन, मथुरा रोड, सराय रव्वाजा, फरीदाबाद	इंडोगल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड 213, रेक्टैगल-1, डी-4 डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली
गेटवेल कैम, 11 परस रामपुरिया एपी, टीपीएस VI मिलन सबवे, सातांक्रूज वेस्ट, मुम्बई-400054	दी कैम प्लास्ट मेटिरियल्स प्रा.लिमिटेड, डी-17 न्यू हाइवे पार्क, ई-3, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुम्बई
रुपानी केमीकल एजेन्सीज, 99 गोविन्दप्पा नाइकन, स्ट्रीट पेरीज, चेन्नई-600001	एक्स 'प्रो इंडिया लिमिटेड, 1, इंडस्ट्रियल एरिया, एन आई टी, फरीदाबाद
गुडविल रसायन चौथा तल, कमरा नं.48, 296 सैमुअल स्ट्रीट, क्रोफोर्ड मार्केट छतरपति शिवाजी टर्मिनस (वीटी), मुम्बई	यूनाइटेड मेटा चेम प्रा. लिमिटेड सर्वे नं.72/76, म्हासोबा नगर, ऑफ मजरी रोड निकट भारत फोर्ज कंपनी मंडवा हडप्सर, पूना प्राइमा रेसिपोल्स (पूना)
रेसिन्स एंड प्लास्टिक्स लिमिटेड प्लाट नं. ए-8, एमआईडीसी का मेरोला इंडस्ट्रियल एस्टेट, क्रास रोड बी, स्ट्रीट नं.5, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093	प्रगति केमिकल्स प्रा. लि., 3605, गाइड इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंकलेश्वर, गुजरात
डी सी कैमिकल्स 4, सिनागॉग स्ट्रीट,	प्रोमिस इंडस्ट्रीज बी-27, फेज-III,

7वां तल, कमरा सं. 703, कोलकाता	आदित्यपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, जमशेदपुर
पी कुमार एंड कंपनी वीडन स्ट्रीट कोलकाता-700006	टेक्नो वैक्सचिम प्रा. लिमिटेड 3सी, हाईटेक चैम्बर्स, 84/1बी, टॉपसिआ रोड (एस), कोलकाता
दूजावाला पेपरकैम दूजोदवाला पेपर केमिकल्स लि. 907, रहेजा सेंटर, 214, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	नेशनल टेक्नो इंडस्ट्रीज, एफ-25 चम्बल इंडस्ट्रीयल एरिया, कोटा, राजस्थान
ए वी एम सेल्स कारपोरेशन 1डी, तीसरा तल, कनाल रोड, महावीरतला, निकट टोलीगंज बिज, न्यू अलीपुर, अलीपुर, कोलकाता-700053	आईनेन्स फैक्टरी नागपुर, अम्बाझारी डिफेन्स प्रोजेक्ट, अमरावती रोड, नागपुर-440021
एस आर प्लास्टिक्स ए 83/3 इंडस्ट्रीयल एरिया वजीरपुर, अशोक विहार एच ओ, दिल्ली-110052	

- ix. जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किसी भी आयातक, प्रयोक्ता अथवा एसोसिएशन ने प्रश्नावली सहित प्रत्युत्तर नहीं दिया।
- x. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि के परे के आंकड़ों की भी जांच की जाएगी।
- xi. जांच की अवधि तथा पिछले तीन वर्षों के आयात आंकड़ों को वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से लिया गया है।
- xii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।
- xiii. प्राधिकारी ने उन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने न तो प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत सूचना उपलब्ध कराई, असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना है।
- xiv. प्राधिकारी ने भारत में सम्बद्ध वस्तु की उत्पादन लागत तथा गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-III में उल्लिखित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथासंभव सीमा तक जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार दिनांक 31 मई, 2013 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों को लिखित रूप से भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरणों पर प्रकटन विवरण में, जहां कहीं संगत पाया गया, विचार किया गया।
- xvi. प्रतिभागिता करने वाले घरेलू उत्पादकों तथा सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया।

- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने यथावश्यक गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया तथा ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका खुलासा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया। गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को, जहां कहीं संभव हुआ, यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रदान कराएं।
- xviii. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही की है अथवा अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा उसने जांच में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया है, तो वहां प्राधिकारी ने इन निष्कर्षों को 'उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है।
- xix. इस जांच में सभी आवश्यक तथ्यों युक्त एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनेगा, सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक: 26 अगस्त, 2013 को जारी किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- xx. यह जांच पूरी करनी की तारीख प्राधिकारी के अनुरोध पर यह तारीख वित्त मंत्रालय द्वारा 17 नवम्बर, 2013 बढ़ा दी गई थी।
- xxi. *** इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व है और उस पर तदनुसार प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत विचार किया गया है।
- xxii. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर जांच की अवधि के लिए यू एस विनिमय दर 48.14 रूपया= 1 अमरीकी डालर की गई है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु
- ग.1. घरेलू उद्योग के विचार
5. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि वर्तमान समीक्षा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच एवं वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त उत्पाद हेक्सामाइन है। चूंकि वर्तमान जांच पाटनरोधी शुल्क की केवल एक समीक्षा है, इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो पिछली जांचों में था। पुनः यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित हेक्सामाइन तथा सम्बद्ध देशों से आयातित हेक्सामाइन समान उत्पाद हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे की निर्णायक समीक्षा में जांच किया जाना अपेक्षित नहीं होता है। हेक्सामाइन एक कार्बनिक रसायन है जिसे सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्षक 2921.2910 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- ग.2. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार
6. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संदर्भ में किसी भी उत्पाद/निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी अथवा प्रस्तुतिकरण दायर नहीं किया है।
- ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच
7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद हेक्सा मिथायलीन टेट्रामाइन है, जिसे बाजार की भाषा में सामान्यतः हेक्सामाइन के रूप में जाना जाता है। इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के अध्याय-29 के सीमा-शुल्क उपशीर्षक 2921 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे में किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।
8. हेक्सा मिथायलीन टेट्रामाइन सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पावडर होता है जिसका स्वाद मृदु मेटालिक होता है। शुद्ध रूप में यह रंगहीन और गंधहीन होता है। इसे रहाम्बिक डोडेकाहेड्रन्स में क्रिस्टलीकृत किया जाता है। हेक्सा

मिथायलीन टेट्रामाइन यौगिक को अमोफार्म, मिथेनामाइन सिस्टामाइन, सिस्टोजेन, यूरोट्रोपाइन के रूप में भी जाना जाता है।

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयातित वस्तु समान वस्तुएं हैं तथा वे वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार समान वस्तुएं हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा

घ.1. घरेलू उद्योग के विचार

10. यह आवेदनपत्र संयुक्त रूप से मैसर्स सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा तथा मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंकलेश्वर द्वारा दायर की गई हैं। इन याचिकाकर्ताओं के अलावा भारत में हेक्सामाइन के दो अन्य उत्पादक भी हैं। दो अन्य उत्पादक हैं मैसर्स राकहार्ड और मैसर्स न्यूटन इंजीनियरिंग। तथापि, याचिकाकर्ताओं की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मैसर्स राकहार्ड बंद हो गयी है तथा मैसर्स न्यूटन वित्तीय समस्याओं के कारण अधिकांश समय बंद ही रहती है। अतः, याचिकाकर्ताओं का उत्पाद भारतीय उत्पादन का बहुत बड़ा अनुपात बनता है। अतः, यह याचिका नियमों के अंतर्गत आधार को संतुष्ट करती है तथा याचिकाकर्ता कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्णायक समीक्षा के मामले में जांच की शुरुआत के स्तर पर आधार की जरूरत नहीं होती है।

घ.2. सऊदी अरेबिया से निर्यातक के विचार

11. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में किसी भी उत्पादक/निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी अथवा प्रस्तुतिकरण दायर नहीं किया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“घरेलू उद्योग” का आशय समान वस्तु का विनिर्माण करने या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हों तो ऐसे मामलों में “घरेलू उद्योग” को केवल शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।

13. यह आवेदन पत्र संयुक्त रूप से मैसर्स सिमालिन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स कानोरिया कैमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंकलेश्वर द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह आवेदकगण संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन के अधिकांश हिस्से का उत्पादन करते हैं और इसलिए वे नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनते हैं।

ड. गोपनीयता

निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. निम्नलिखित के सम्बंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है:-

क. कच्चे माल की अंगीकार की गई कीमतों को आई सी आई एस-एल ओ आर के अनुरूप गोपनीय रखा गया है तथापि इस स्रोत के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है।

- ख. घरेलू उद्योग द्वारा समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों का समायोजन, इन समायोजनों के लिए बिना किसी साक्ष्य के, मनमाने ढंग से फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत पर संगणित कर लिया गया।
- ग. यद्यपि घरेलू उद्योग को अपनी निजी परिवर्तन लागत के बारे में गोपनीयता का दावा करने के लिए न्यायोचित ठहराया जा सकता है तथापि घरेलू उद्योग मेथनाल के लिए अपनाए गए कच्चे माल की कीमत के बारे में गोपनीयता का दावा करने और फारमलडीहाइड के लिए कीमत का संगणन करने में पूर्णतया गलत है।
- घ. वित्तीय विवरण प्रदान नहीं कराया गया है।

घरेलू उद्योग के विचार

15. सहयोगकर्ता निर्यातकों के गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं दिया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की तथा संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने अपनी परम्परा के अनुरूप उसकी अनुमति दे दी।

च. विविध मुद्दे

सऊदी अरेबिया से निर्यातकों के विचार

17. डीजीएडी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की जरूरत की समीक्षा केवल तभी कर सकता है जब पाटनरोधी शुल्क प्रभावी हो। सीमाशुल्क अधिसूचना सं.89/2007-सीमाशुल्क 24 जुलाई, 2012 को समाप्त हो जाने के पश्चात और सीमाशुल्क अधिसूचना सं.38/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) एक समाप्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से पुनर्जीवित करने के लिए अवैध होने के कारण जब संबंधित उत्पाद पर कोई पाटनरोधी शुल्क है ही नहीं जिसकी निरंतरता की जरूरत के लिए डीजीएडी समीक्षा कर सके।
18. सम्बद्ध देशों से आयातों का वर्ष 2009-10 और 2010-11 में बाजार हिस्सा केवल 3% और जांच की अवधि के दौरान केवल 5% रहा है, जबकि दूसरी ओर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान 94% तथा समीक्षा की अवधि के दौरान बाजार हिस्सा 87% था।
19. जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्से में केवल 2% की वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में 7% की गिरावट आई। इसी समय, अन्य देशों से आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 2.9% था, जांच की अवधि के दौरान बढ़कर 7.8% हो गया, जो घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट के लिए उत्तरदायी है।

घरेलू उद्योग पर विचार

20. घरेलू उद्योग ने कोई भी विविध प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि शुल्क के व्यपगत होने की अधिसूचना के पश्चात शुल्क में विस्तार करना अवैध और विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चल रही निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान पाटनरोधी शुल्क में विस्तार करने पर केन्द्रीय सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। अन्य मुद्दों का इस प्रकटन विवरण में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत समाधान कर दिया गया है।

- छ. पाटन का आकलन-क्रियापद्धति एवं पैरामीटर्स
पाटन का निर्धारण

- छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नलिखित दावा किया है-

- क. निर्यातक द्वारा संबद्ध देशों की घरेलू बाजार में हेक्सामाइन की प्रकाशित कीमत का कोई पर्याप्त, तर्क संगत एवं भरोसेमंद साक्ष्य का पता नहीं लगाया जा सका। इन परिस्थितियों के अंतर्गत यह विचार किया जाना उपयुक्त माना जाता है कि सम्बद्ध देशों की घरेलू बाजार में हेक्सामाइन के उत्पादन की कीमत का विनिर्माण कर लिया जाए।
- ख. मूल जांच से यह देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया में उत्पादक की विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बाजार में पर्याप्त बिक्री नहीं है और प्राधिकारी को पाटन का निर्धारण करने के लिए उत्पादन लागत विधि का आश्रय लेना पड़ा है। याचिकाकर्ताओं का विश्वास है कि सऊदी अरेबिया की घरेलू बाजार में हेक्सामाइन की खपत बिल्कुल नगण्य बना रहा है। इस अतिरिक्त कारण से सऊदी अरेबिया में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत के आधार पर करना उपयुक्त होगा। सऊदी अरेबिया में उत्पादक द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत के संबंध में वास्तविक सूचना उपलब्ध न होने पर याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन लागत का विनिर्माण उत्पादन लागत के सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया है।
- ग. हेक्सामाइन का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल फारमैल्डीहाइड है। फारमैल्डीहाइड का उत्पादन मेथनाल से किया जाता है। मेथनाल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आई सी आई एस-एल ओ आर के अनुरूप उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ताओं ने सऊदी अरेबिया के लिए आई सी आई एस- एल ओ आर के अनुरूप मेथनाल की एशिया प्रशांत (एस डब्ल्यू एशिया) में व्याप्त कीमतों को और रूस के लिए मेथनाल की यूरोप में व्याप्त कीमतों को अपनाया है। फारमैल्डीहाइड की कीमतों का निर्माण फारमैल्डीहाइड विनिर्माण की सर्वाधिक कार्यकुशल याचिकाकर्ता लागत के अनुरूप अन्य सभी व्ययों पर विचार करते हुए इस आधार पर किया गया है। सऊदी अरेबिया और रूस में हेक्सामाइन के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए फारमैल्डीहाइड की इस विनिर्मित कीमत विचार किया गया है। सम्बद्ध देशों में हेक्सामाइन के सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए सर्वाधिक कार्यकुशल याचिकाकर्ता की अन्य सभी कच्चे माल, उपयोगिता विनिर्माण, एसजीए तथा ब्याज लागत को 5% के तर्कसंगत लाभ के साथ अपनाया गया है।
- छ.1. सऊदी अरेबिया से निर्यातक कैमानोल के विचार
23. कैमानोल ने सभी जानकारी प्रदान कराते हुए प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और प्रस्तुत किए गए आंकड़े कैमानोल के लिए न्यूनतम/नकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाते हैं।
24. कैमानोल फारमैल्डीहाइड से हेक्सामाइन का विनिर्माण करता है, जिसका मेथानोल का प्रयोग करके इन-हाउस उत्पादन किया जाता है। मेथानोल का उत्पादन ग्राही रूप से प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके किया जाता है। ग्राही रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण वास्तविक लागत पर किया जाता है। अन्य प्रमुख कच्चे माल अमोनिया का क्रय के एस ए में असम्बद्ध पक्षकार से किया जाता है। कंपनी द्वारा किसी भी इनपुट का न तो आयात किया जाता है और न ही किसी सम्बद्ध कंपनी से उसका क्रय किया जाता है।
- छ.2. प्राधिकारी द्वारा जांच
25. धारा 9क (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का आशय निम्नलिखित है:-
- (i) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा भू-भाग में खपत के उद्देश्य से व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत है; अथवा
- (ii) निर्यातक देश या भूभाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में जब उसके समान वस्तु की बिक्री न होती हो अथवा निर्यातक देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में विशिष्ट बाजार परिस्थितियों अथवा बिक्री की न्यून मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियां समुचित तुलना करने की अनुमति न देती हों तो उस वस्तु का सामान्य मूल्य या तो-

- (क) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित उस समान वस्तु की वह तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत होगी जिस पर उसका निर्यात किसी निर्यातकर्ता देश या (भू-भाग से) किसी उपयुक्त तृतीय देश को किया जाता है; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री या सामान्य लागत तथा लाभ के लिए किए गए अन्य संवर्धनों सहित उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत होती है;

सऊदी अरेबिया के लिए सामान्य मूल्य

मेथनाल कैमिकल्स कंपनी (कैमनोल) सऊदी अरेबिया

26. प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सूचना उपलब्ध कराने का सुझाव देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। प्राधिकारी को केवल मेथनाल कैमिकल्स कंपनी (कैमानोल) से ही प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। प्राधिकारी को न तो अन्य कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और न ही किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोई अन्य प्रस्तुतिकरण किया गया।
27. कैमानोल ने घरेलू बिक्री कीमत, भारत और तृतीय देशों को निर्यात संबंधी सूचना तथा सऊदी अरेबिया में उत्पादन लागत एवं प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नावली प्रारूप के अनुरूप अन्य जानकारी प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच की अवधि के दौरान कैमानोल की घरेलू बिक्री मात्रा भारत को किए गए कुल निर्यात का 5% से भी कम है।
28. निर्यातक ने यह भी अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण इस उत्पाद की उत्पादन लागत के अनुसार किया जा सकता है क्योंकि घरेलू बाजार में बेची गई मात्रा प्रतिनिधिक मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अतः, प्राधिकारी ने सम्बद्ध वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण धारा 9क (1) (ग) (ii) (ख) के अनुरूप किया है।
29. प्राधिकारी ने सहायक निर्यातक कैमानोल के आंकड़ों का सत्यापन किया है और वास्तविक लाभ मार्जिन जोड़कर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के वास्तविक मूल्य के आधार पर इसका सामान्य मूल्य तय किया गया। इस प्रकार, निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में उल्लिखित है।

रुस के लिए सामान्य मूल्य

30. प्राधिकारी ने निर्धारित स्वरूप और ढंग से सूचना प्रदान कराने का सुझाव देते हुए रुस के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजीं। प्राधिकारी को न तो इन प्रश्नावलियों का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और न ही किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोई प्रस्तुतिकरण किया गया है।
31. चूंकि रुस में उत्पादन की लागत या व्यक्तिगत देश-वार तृतीय देशों को निर्यातों से संबंधित सूचना, वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना, और प्रश्नावली के अनुरूप अन्य सूचना रुस के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, और इसका सत्यापन नहीं किया जा सका। इसलिए प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर करने का प्रस्ताव करते हैं।
32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हेक्सामाइन का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल फारमैल्डीहाइड है। फारमैल्डीहाइड का उत्पादन मेथानोल से किया जाता है। प्राधिकारी ने पहले फारमैल्डीहाइड की कीमत का विनिर्माण मेथानोल की कीमतों के आधार पर किया जिसे जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए रुस से भारत को आयातों के विश्व व्यापार एटलस (डब्ल्यू टी ए) आंकड़ों से लिया गया है। उसका परिकलन करते समय समुद्री मालमाड़ा, अंतरदेशीय मालभाड़ा, सामुद्रिक बीमा पत्तन हैंडलिंग प्रभारों के समायोजन को ध्यान में रखा गया है। अन्य सभी व्ययों को फारमैल्डीहाइड का विनिर्माण करने वाले सर्वाधिक कार्यकुशल याचिकाकर्ता की लागत के अनुरूप किया गया है। इसी तरह अमोनिया की कीमतों को भी डब्ल्यू टी ए आंकड़ों से लिया गया है और यथोचित समायोजन का प्रयोग किया गया है। रुस में हेक्सामाइन के सामान्य मूल्य का परिकलन करने के

लिए सर्वाधिक कार्यकुशल याचिकाकर्ता की उपयोगिता, विनिर्माण उपरिशीर्ष, एसजीए तथा ब्याज लागत आदि को 5% के तर्कसंगत लाभ सहित अपनाया गया है। यह तरीका अपनाकर, रुस के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण *** अम.डा. प्रति मी.टन के रूप में किया गया है।

सऊदी अरेबिया के लिए निर्यात कीमत

मेथानोल कैमिकल्स कंपनी (कैमनोल), सऊदी अरेबिया

33. कैमनोल ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी.टन सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया है। परिशिष्ट-2 के अनुसार, चूंकि कंपनी ने कमीशन (***अम.डा./मी.टन) अंतरदेशीय मालभाड़ा (*** अम.डा./मी.टन), समुद्रपारीय मालभाड़ा (*** अम.डा./मी.टन), समुद्रपारीय बीमा (*** अम.डा./मी.टन), बैंक प्रभार (***अम.डा./मी.टन) और ऋण लागत (*** अम.डा./मी.टन) के समायोजन का दावा किया है, इसलिए एफ ओ बी के पहले और पश्चात कुल लागत *** अम.डा./मी.टन बनती है। निर्यात कीमत से समायोजन की अनुमति प्राधिकारी द्वारा वास्तविक और यथासत्यापित के रूप में दी गई है। तदनुसार, फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण *** अम.डा./मी.टन किए जाने का प्रस्ताव है।

सऊदी अरेबिया से असहयोगकर्ता निर्यातक

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरेबिया से किसी अन्य निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः, प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया से सहयोगकर्ता निर्यातकों की भारत को न्यूनतम प्रतिनिधिक निवल निर्यात कीमत को अपनाया है।

रुस के लिए निर्यात कीमत

35. प्राधिकारी ने निर्यात का निश्चयन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए 0.5% की दर से सामुद्रिक बीमा, 70 अम.डा. प्रति मी.टन की दर से समुद्री भाड़ा, 1% की दर से कमीशन, 0.5% की दर से अंतरदेशीय भाड़ा, 0.5% की दर से पत्तन व्यय, 0.2% की दर से बैंक प्रभारों का समायोजन किया है। समायोजन करने के पश्चात रुस के लिए फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण *** अम.डा. प्रति मी.टन निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन

36. फैक्टरी बाह्य स्तर पर इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर दोनों सम्बद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए के अनुसार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन सऊदी अरेबिया से सहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए न्यूनतर से कम तथा रुस के बारे में निषेधात्मक है।

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डा./मी.टन	निर्यात कीमत अम.डा./मी.टन	पाटन मार्जिन अम.डा./मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
मेथानोल कैमिकल कंपनी (कैमानोल), सऊदी अरेबिया	***	***	***	***	0-4
सऊदी अरेबिया से अन्य सभी निर्यातक	***	***	***	***	8-15%
रुस से सभी निर्यातक	***	***	***	***	(2-12)

ज. क्षति का आकलन एवं कारणात्मक सम्बन्धों का परीक्षण।

घरेलू उद्योग के विचार

37. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है:

- (i) सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध उत्पाद का निरंतर पाटन हुआ है;
- (ii) यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो विचाराधीन उत्पाद का सम्बद्ध देशों से पाटन बढ़ने की संभावना है;
- (iii) पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के कारण आई है;
- (iv) सम्बद्ध देशों से पाटित कीमत पर भारतीय बाजार में आयातों का प्रवेश होना जारी है;
- (v) दोनों देशों से कीमत अधोरदन काफी सकारात्मक है।
- (vi) वर्तमान जांच की अवधि में लाभ, निवेश पर आवक, नकदी प्रवाह, मालसूची आदि के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है जबकि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के पश्चात उसमें सुधार होना चाहिए था।
- (vii) पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद आयात कीमतों से तुलनात्मक कीमतों पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। इसका आशय होगा भारी वित्तीय घाटा, इसके अतिरिक्त, निवेश पर ऋणात्मक आवक और भारी नकद घाटा;
- (viii) घरेलू उद्योग को अपनी क्षमताओं का संपूर्ण सीमा तक उपयोग करने से वंचित किया गया है;
- (ix) इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सम्बद्ध देशों से पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति निरंतर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, अगर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और परिणामी क्षति की निरंतरता बने रहने तथा उसके और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

निर्यातक कैमानोल के विचार

38. निर्यातकर्ता कैमानोल ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं-

- (i) पिछले 10 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क की केवल मौजूदगी का आशय पाटन का प्रचलन नहीं होता है। पिछली जांच से, सम्बद्ध देशों से आयातों में आधे से अधिक गिरावट आई है।
- (ii) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 94% तथा जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सा 87% था।
- (iii) जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में केवल 2% की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में 7% की गिरावट आई। यह दर्शाता है कि यह अन्य देशों का आयात ही है जिसका हिस्सा वर्ष 2010-11 में 2.9% था, बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 7.8% हो गया, और यही घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट के लिए उत्तरदायी है।
- (iv) सम्बद्ध देशों से होने वाला आयात वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बिक्री का 8% था जो वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में घटकर केवल 3% रह गया। समीक्षा की अवधि के दौरान इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई और यह लगभग 6% हो गया। तथापि, समीक्षा के दौरान भी घरेलू उत्पादन और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बद्ध आयात आधार वर्ष की अपेक्षा कम ही रहे हैं।
- (v) जहां तक घरेलू उद्योग पर कथित पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का सम्बंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह आधारभूत प्रीमाइज अर्थात् आयात कीमतें, जिन पर घरेलू उद्योग क्षति का दावा कर रहा है, स्वयमेव गलत हैं।
- (vi) सऊदी अरेबिया से घरेलू उद्योग तथा प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट की गई आयात की मात्रा में 41% का अंतर है। घरेलू उद्योग द्वारा सऊदी अरेबिया की आयात कीमत प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट की गई वास्तविक निर्यात कीमत से 9% अधिक बढ़ाकर दर्शायी गई है।

- (vii) यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में दर्शायी गई आयात कीमत अनुचित है तो उसके परिणामस्वरूप कीमत अधोबिक्रयण/क्षति मार्जिन भी त्रुटिपूर्ण ही होगा।
- (viii) घरेलू उद्योग के इस प्रतिविरोध में कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है कि उसे अपने माल की बिक्री उन आयातक देशों जिनका कुल घरेलू मांग के केवल 5% पर ही कमांड है की आयात कीमतों पर करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

39. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में पाटित आयातों की मात्रा प्रभाव के सम्बंध में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समरूप उत्पाद की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की उद्देश्यपरक जांच करने का प्रावधान है। प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या आयातों में उत्पादन अथवा खपत के निरुपाधि रूप में या संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के सम्बंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है, अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा भारी मात्रा में कीमतों का अवमंदन करता अथवा उन कीमतों को बढ़ने से रोकता जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता। गिरते बाजार हिस्से के संबंध में कैमनाल द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनके वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है।

40. घरेलू उद्योग में पाटित आयातों के प्रभाव के सम्बंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और देशनांकों का मूल्यांकन शामिल होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव होता है जिनमें लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा उत्पादकता, निवेश पर अर्जन अथवा क्षमता उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता शामिल होते हैं।"

41. क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच की और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक सम्बंध तथा क्षति की अवस्थिति की जांच करने के लिए कीमत और लाभप्रदायकता पर इसके प्रभाव की जांच की।

कीमत प्रभाव: पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

42. पाटित आयातों की मात्रा के सम्बंध में इन्हें यह जांच करनी पड़ी कि क्या भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में अथवा निरुपाधि रूप से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करने के लिए उक्त प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के सम्बंध में अथवा निरुपाधि रूप से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है।"

43. सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की निम्नवत जांच की गई है-

आयात मात्रा और सम्बद्ध देशों का हिस्सा

विवरण	पाटन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि 2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
आयात- रुस	मी.टन	20	175	156	180	84
आयात-सऊदी अरेबिया	मी.टन	775	161	571	420	120
आयात संबद्ध देश	मी.टन	795	335	727	600	204

पाटनरोधी शुल्क आकृष्ट करने वाले अन्य देश ईरान		-	-	-	100	-
आयात-अन्य देश	मी.टन	160	306	388	1,323	910
कुल आयात	मी.टन	955	641	1,116	2,024	1,114
निम्नलिखित के सम्बंध में सम्बद्ध देशों से आयात:						
कुल आयात	%	83.25	52.29	65.21	29.66	18.32
खपत	%	7.88	2.89	6.29	4.95	3.10
भारत में उत्पादन	%	8.71	3.04	6.75	5.37	3.66

44. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के समय इंटरनेशनल बिजनेस इनफार्मेशन सर्विसेस (आईबीआईएस) के आयात आंकड़े प्रस्तुत किए परंतु प्राधिकारी ने तदुपरांत आयातों के लेनदेनवार आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए और इस प्रकार उन्हीं पर भरोसा किया गया तथा उनका ही विश्लेषण किया गया। डीजीसीआईएस आंकड़े दर्शाते हैं कि सम्बद्ध देशों से वर्ष 2008-09 के दौरान 795 मी.टन के आयात हुए और उनमें वर्ष 2009-10 में तेजी से गिरावट आई, परंतु 2010-11 में इनमें पुनः सुधार होकर यह आयात 727 मी.टन के हो गए। तथापि, सम्बद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में एक बार फिर भारी गिरावट आई तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में इनमें और अधिक गिरावट आई। सम्बद्ध देशों से आयातों में यह गिरावट न केवल निरुपाधि रूप से आई परंतु यह गिरावट वर्ष 2010-11 के मध्यांतर में तथा जांच की अवधि में भारत में उत्पादन और खपत के सम्बंध में भी आई।

मांग एवं बाजार हिस्से का आकलन

45. विचाराधीन उत्पाद की मांग/घरेलू खपत का परिकलन करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में कुल आयातों से जोड़ा। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने आयात की मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण द्वितीयक स्रोत अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस इनफार्मेशन सर्विसेज से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर किया है। घरेलू उद्योग ने पहले अपने पुस्तुतिकरण में लेनदेनवार आयात सूचना प्रस्तुत की थी। जांच के दौरान प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से उक्त जानकारी संव्यवहार से संव्यवहार आधार पर प्रदान कराने का अनुरोध किया जो प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर ली गई। प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध वस्तु की कीमत और मात्रा के संबंध में आयात सांख्यिकी के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
46. देश में इस उत्पाद की मांग का आकलन घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के जोड़ के रूप में किया गया है।

	भारत में मांग	पाटन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि 2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
i	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	9,129	10,954	10,453	10,113	5,459
ii	सम्बद्ध देश-आयात	मी.टन	795	335	727	600	204
क	रूस	मी.टन	20	175	156	180	84
ख	सऊदी अरेबिया	मी.टन	775	161	571	420	120
iii	अन्य देश जिन पर शुल्क लगा था-ईरान	मी.टन	-	-	-	100	-
iv	अन्य देश-आयात		160	306	388	1,323	910
v	कुल मांग	मी.टन	10,084	11,595	11,568	12,137	6,573

vi	प्रवृत्ति		100	115	115	120	131
	बाजार हिस्सा						
i	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	90.53	94.47	90.36	83.33	83.06
ii	सम्बद्ध देश-आयात	%	7.88	2.89	6.29	4.95	3.10
क	रूस	%	0.20	1.51	1.35	1.48	1.28
ख	सऊदी अरेबिया	%	7.69	1.38	4.94	3.46	1.83
iii	अन्य देश जिन पर शुल्क लगा था-ईरान	%	-	-	-	0.82	-
iv	अन्य देश-आयात		1.59	2.64	3.36	10.90	13.84
v	कुल मांग/खपत	%	100.0 0	100.00	100.00	100.00	100.00

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा जांच की अवधि में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। सामान्य रूप में, क्षति अवधि की तुलना में मांग में 20% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

कीमत प्रभाव: पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव

48. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के सम्बंध में नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित उल्लेख है-

"कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, जैसा कि नियम 18 के उपनियम (2) में उल्लेख है, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को भारी मात्रा में अवमंदन कर रहा है अथवा कीमतों को बढ़ने से रोक रहा है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता"

कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण

49. जांच के दौरान यह परीक्षण किया गया कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन प्रभाव हुआ है अथवा शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने के पश्चात कीमत प्रभाव की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होगा कि यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो कीमत अधोरदन की सीमा क्या होगी। इस संदर्भ में प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान निवल बिक्री प्रापण, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी बिक्री कीमत तथा सम्बद्ध देशों से आयातों की लदान कीमत का विश्लेषण किया है।
50. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की कीमत कटौती और कम पर बिक्री के संदर्भ में जांच की गई है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) तथा क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। निवल बिक्री वसूली का निर्धारण उत्पाद शुल्क, रिबेट, छूट तथा करों को छोड़कर किया गया था। 1% पहुंच प्रभार, लागू मूलभूत सीमाशुल्क तथा उपकर को संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य के साथ जोड़कर आयातों के पहुंच मूल्य का परिकलन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से की गई थी। कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

रूस (पाटन रोधी शुल्क जोड़ने के पश्चात परिकलन)

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि-2011-12	जांच की अवधि के पश्चात (छह
-------	--------------	---------	---------	---------	----------------------	----------------------------

						माह)
गैर क्षतिकारी कीमत	रुपये/मी. टन				***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	106	127	143
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/मी. टन	66,305	46,846	50,630	61,023	70,505
कीमत अधोरदन	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन %	%	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन रेंज	रेंज	(35-45)	0-10	0-12	(0-10)	(0-10)
कीमत अधोबिक्रयण	रुपये/मी. टन				***	***
कीमत अधोबिक्रयण %	%				***	***
कीमत अधोबिक्रयण रेंज	रेंज				(0-10)	(0-10)

रुस (पाटन रोधी शुल्क जोड़े बिना परिकलन)

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि-2011-12	जांच की अवधि के पश्चात (छह माह)
गैर क्षतिकारी कीमत	रुपये/मी. टन				***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	106	127	143
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/मी. टन	57,068	37,104	41,289	51,313	59,432
कीमत अधोरदन	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन %	%	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन रेंज	रेंज	(15-20)	20-25	15-20	10-15	10-15
कीमत अधोबिक्रयण	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत अधोबिक्रयण %	%				***	***
कीमत अधोबिक्रयण रेंज	रेंज				8-15	8-15

सऊदी अरेबिया (पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के पश्चात परिकलन)

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि-2011-12	जांच की अवधि के पश्चात (छह माह)
गैर क्षति कारी कीमत	रुपये/मी. टन				***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	106	127	143
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन %	%	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन रेंज	रेंज	(10-20)	(10-20)	0-10	(0-10)	(0-10)

कीमत अधोबिक्रयण	रुपये/मी. टन				***	***
कीमत अधोबिक्रयण %	%				***	***
कीमत अधोबिक्रयण रेंज	रेंज				(0-10)	(0-10)

सऊदी अरेबिया (पाटनरोधी शुल्क बिना जोड़े परिकलन)

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि-2011-12	जांच की अवधि के पश्चात (छह माह)
गैर क्षति कारी कीमत	रुपये/मी. टन				***	***
निवल बिक्री प्रापण	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	106	127	143
आयातों की उतराई कीमत	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपये/मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन %	%	***	***	***	***	***
कीमत अधोरदन रेंज	रेंज	(0-10)	(0-10)	10-20	0-10	0-10
कीमत अधोबिक्रयण	रुपये/मी. टन				***	***
कीमत अधोबिक्रयण %	%				***	***
कीमत अधोबिक्रयण रेंज	रेंज				0-10	(0-10)

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बिना दोनों देशों से कीमत अधोरदन तथा कीमत अधोबिक्रयण जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक है। तथापि, दोनों देशों से पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन तथा कीमत अधोबिक्रयण जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक हैं। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान दोनों देशों से आयातों की उतराई कीमत (पाटनरोधी शुल्क के बिना) घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान दोनों देशों से आयातों की पाटनरोधी शुल्क युक्त उतराई कीमत घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से अधिक है।

कीमत निग्रहण/अवमंदन

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों से तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा भारी विपरीत कीमत प्रभाव हुआ है अथवा क्या पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर देने की स्थिति में भारी विपरीत कीमत प्रभाव होने की संभावना है।
53. कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने जांच की अवधि एवं क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री कीमत की जांच की। इस सम्बंध में प्रवृत्तियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं:

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि 2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
बिक्री लागत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	81	95	129	143
बिक्री कीमत	रुपये/मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	98	105	128	143

54. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में गिरावट आई और तदुपरांत उसमें वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि में आधार वर्ष की तुलना में बिक्री लागत में 29% की बढ़ोतरी हुई। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि बिक्री कीमत भी वही प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान कीमत निग्रहण/अवमंदन का कोई बड़ा संकेत नहीं है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक पैरामीटर

55. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति के निर्धारण में सम्बद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इसके अतिरिक्त, नियमावली के अनुबंध-II (iv) में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

“संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और देशनांकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है इनमें शामिल हैं बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन का विस्तार, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

56. घरेलू उत्पादन की मात्रा और घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच, घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के रूप में की गई। घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा निम्नलिखित है:

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
क्षमता	मी.टन	8,800	9,800	10,800	12,000	6,000
उत्पादन	मी.टन	9,124	11,016	10,779	11,170	5,573
क्षमता उपयोग	%	104	112	100	93	93
घरेलू बिक्री	मी.टन	9,129	10,954	10,453	10,113	5,459
कुल मांग	मी.टन	10,084	11,595	11,568	12,137	6,573

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि

- घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि की। घरेलू उद्योग के उत्पादन में भी सम्बद्ध वस्तु के लिए मांग और संवर्धित संस्थापित क्षमता के अनुरूप बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।
- (i) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री में यह वृद्धि मांग में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। यह स्थिति क्षमता में संवर्धन करने तथा पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद बनी है।
- पाटनरोधी शुल्क की विद्यमानता और मांग में वृद्धि के बावजूद विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

लाभ, निवेश पर अर्जन तथा नकद लाभ

58. घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री से अर्जित लाभ, नकदी प्रवाह तथा निवेश पर अर्जन निम्नलिखित रहा है:-

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि 2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
बिक्री की लागत	रूपये/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	81	95	129	143
बिक्री कीमत	रूपये/मी. टन	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	98	105	128	143
प्रति यूनिट लाभ/हानि	रूपये/मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	11,824	6,529	(506)	347
घरेलू बिक्रियों पर लाभ/हानि	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	14,186	7,475	(560)	207
पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	1,338	745	29	47
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	2,671	1,479	14	105
निवेश पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	892	361	14	42

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- वर्ष 2009-10 में बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई और फिर उसमें वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2010-11 और जांच की अवधि के बीच बिक्री कीमत की तुलना में उत्पादन लागत में अधिक वृद्धि हुई।
- इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में वर्ष 2009-10 में सुधार हुआ, परंतु इसमें वर्ष 2010-11 में गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा उठाना पड़ा।
- ब्याज एवं कर पूर्व लाभ, नकद लाभ, और निवेश पर अर्जन ने भी लाभ के अनुरूप ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

रोजगार एवं वेतन

60. रोजगार एवं वेतन की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि 2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	116	118	127	133
वेतन	लाख रुपये	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	130	140	158	162

61. आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि हुई है। उसी अवधि के दौरान वेतन में 28% की वृद्धि हुई। उत्पादन के प्रति यूनिट वेतन में भी वृद्धि हुई है।

उत्पादकता

62. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है-

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि 2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	100	96	92
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन/दिवस	***	***	***	***	***

63. आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता अर्थात् प्रति कर्मचारी उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप ही हुई है।

मालसूची

64. घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि 2011-12	जांच की अवधि के पश्चात
औसत स्टाक	मी.टन	19	41	51	78	126
प्रवृत्ति		100	210	264	400	650

65. औसत मालसूची में निरुपाधि रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। यद्यपि विगत वर्ष 2010-11 की तुलना में जांच की अवधि में औसत मालसूची में गिरावट आई परंतु आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है।

वृद्धि

66. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, मांग, लाभप्रदायकता और आरओसी के संबंध में घरेलू उद्योग के विकास में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन		21%	-2%	4%
बिक्री		20%	-5%	-3%
बाजार हिस्सा		4%	-4%	-8%
मांग		15%	0%	5%
लाभप्रदायकता (रूपये लाख में%)		14086%	-47%	-107%
आरओसी		792%	-60%	-96%

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

67. सम्बद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा वे अन्य कारक हैं जिनका घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है पर विचार करने से यह प्रदर्शित होता है कि रुस और सऊदी अरेबिया से सम्बद्ध वस्तु का लदान मूल्य घरेलू (पाटनरोधी शुल्क के बिना) उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत अधोरदन हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि सम्बद्ध वस्तु की मांग में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हो रही थी और यह घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है। अतः घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु का लदान मूल्य और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है।

क्षति पैरामीटरों सम्बंधी निष्कर्ष

68. उपर्युक्त के आलोक में प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

- दोनों सम्बद्ध देशों से कीमत अधोरदन और कीमत अधोबिक्रयण (पाटनरोधी शुल्क के बिना) जांच की अवधि में सकारात्मक है।
- लाभ, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह, मालसूची आदि के रूप में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निवेश में गिरावट आई है।
- पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है।
- इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करने से वंचित किया गया।

69. ऊपर उल्लिखित पैरामीटरों से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2009-10 में सुधार प्रदर्शित करने के उपरांत वर्ष 2010-11 से इसमें अवनति हुई है जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग की निरंतर क्षति हुई है।

पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

70. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरण में दावा किया कि निर्णायक समीक्षा के अंतर्गत यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति करने से घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इस कारण क्षति की चुनौती के लिए सूचीबद्ध किए गए कारकों के आधार पर जांच करना त्रुटिपूर्ण होगी। प्राधिकारी के संज्ञान में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारण करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क वापस ले लिए जाने पर क्षति की निरंतरता एवं पाटन बने रहने की संभावना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस समय रुस से सम्बद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में प्रवेश पाटित कीमतों पर नहीं हो रहा है और पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद सऊदी अरेबिया से आयात अतिलघु स्तर के अनुरूप हुआ है।
71. सतत पाटन एवं क्षति की जांच करने के अलावा प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यथा-प्रस्तुत सूचना एवं साक्ष्य के आधार पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति एवं पाटन की निरंतरता एवं पुनरावृत्ति की संभावना की भी जांच की। प्राधिकारी ने क्षति एवं पाटन की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच नियमावली के अनुबंध-II (vii) में दी गई शर्तों के अनुरूप वास्तविक क्षति की चुनौती से संबंधित पैरामीटरों तथा यथावश्यक परितर्वर्तनों सहित इसके अनुप्रयोग पर विचार करते हुए की, जिसका उल्लेख निम्नवत है :-

"वास्तविक क्षति की चुनौती का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि केवल अभिकथन, अनुमान अथवा दूर की संभावना पर। उन परिस्थितियों में परिवर्तन, जो ऐसी स्थिति का सृजन कर सकता है जिसमें पाटन से क्षति हो सकती हो, स्पष्टतया पूर्वदृष्ट और आसन्न हो। किसी वास्तविक क्षति की मौजूदगी से संबंधित निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कारकों पर विचार करेंगे; और

- (ii) भारत में पाटित आयातों की भारी वृद्धि दर जिससे भारी मात्रा में संवर्धित आयात की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (iii) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निस्तारणीय अथवा आसन्न भारी वृद्धि जिससे किसी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से संवर्धित पाटित निर्यातों की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (iiii) क्या आयातों का प्रवेश ऐसी कीमतों पर हो रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर भारी निग्रहण अथवा अवमंदन प्रभाव पड़ता हो। और अधिक आयात करने की मांग में वृद्धि होने की संभावना हो।
- (iv) इस वस्तु की मालसूची का पता लगाया जा रहा है।

72. घरेलू उद्योग ने निर्यातक देशों में सम्बद्ध वस्तु की मांग, क्षमता और उत्पादन के संबंध में सूचना प्रदान की है। सऊदी अरेबिया से प्रतिवादी निर्यातक ने भी संगत सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर यह निश्चित किया है कि क्या सम्बद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं। इस सम्बद्ध में प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आंकड़े/प्रवृत्तियां नोट की गई हैं:

सम्बद्ध देशों में निर्यातोन्मुखता तथा बेशी क्षमता

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरेबिया में प्रतिवादी उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता संस्थापित क्षमता से 100% से अधिक है। सऊदी अरेबिया में सम्बद्ध वस्तु की संस्थापित क्षमता और उत्पादन पर विचार करते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरेबिया में निर्यातक अपनी पूर्ण क्षमता का (100% से अधिक) उपयोग पहले से ही कर रहे हैं और अब उनके पास कोई बेशी क्षमता नहीं है। अतः, प्राधिकारी को अब यह जांच करनी है कि क्या सऊदी अरेबिया द्वारा तृतीय देशों को किए जाने वाले निर्यात का कोई प्रतिशत, यदि उसे भारत की ओर विपणित किया

जाता है तो, उसके पारित तथा गैर-क्षतिकारी कीमत पर होने की संभावना है। जहां तक रुस का सम्बंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रुस से किसी उत्पादक/निर्यातक ने तथापि, प्राधिकारी, जांच की अवधि में रुस से तृतीय देशों को किए गए निर्यात के सम्बंध में सूचना प्राप्त करने में सक्षम रहे जिसकी प्राधिकारी द्वारा निम्नवत विश्लेषण किया गया है।

भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

74. निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि रुस और सऊदी अरेबिया से जांच की अवधि में आयातों का लदान मूल्य ऐसी कीमत पर किया गया है जो पाटनरोधी शुल्क प्रचलन में न होने पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम है। दोनों ही सम्बद्ध देशों के मामले में कीमत अधोरदन पर्याप्त रूप से सकारात्मक है। तथापि, जांच की अवधि के पश्चात् की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से आयातों के उतराई मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के पश्चात् कीमत अधोरदन में भारी कमी आई और सम्बद्ध देशों से निर्यात जांच की अवधि की तुलना में काफी उच्चतर कीमतों पर हो रहे हैं।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि	जांच की अवधि के पश्चात् (छह माह)
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का उतराई मूल्य-सऊदी अरेबिया	रुपये/मी. टन	55,714	66,549
पाटनरोधी शुल्क सहित आयातों की उतराई मूल्य-सऊदी अरेबिया	रुपये/मी. टन	62,708	74,525
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का उतराई मूल्य-रूस	रुपये/मी. टन	51,313	59,432
पाटनरोधी शुल्क युक्त आयातों का उतराई मूल्य-रूस	रुपये/मी. टन	61,023	70,505
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रुपये/मी. टन	***	***
घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत	रुपये/मी. टन	***	***

सम्बद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यातों का पाटन

75. इस सम्बंध में प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया में प्रत्युत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दर्ज किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को किए गए निर्यात की जानकारी का देश-वार आधार पर जांच की।

सऊदी अरेबिया

विवरण	इकाई	जांच की अवधि में मात्रा	जांच की अवधि के पश्चात् में मात्रा
सभी देशों (भारत के अलावा) को निर्यात की कुल मात्रा	मी. टन	10,091	10,144
पाटन कीमतों पर निर्यात की मात्रा (सामान्य मूल्य से तुलना करने पर)	मी. टन	2,574	1,101
क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात की मात्रा (घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत से तुलना करने पर)	मी. टन	7,760	4,831
पारित निर्यातों का हिस्सा	%	25.51%	10.86%
क्षतिकारी निर्यातों का हिस्सा	%	76.90%	47.62%

76. प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया के प्रत्युत्तरदाता उत्पादक द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को किए गए निर्यात से संबंधित देशवार जानकारी की जांच की। उन कीमतों पर विचार करते हुए जिन पर विभिन्न देशों को निर्यात किए गए, इन लेनदेनों के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण (पाटन मार्जिन के बारे में एफ ओ बी से फैक्टरी बाह्य कीमत तथा क्षति मार्जिन के मामले में एफ ओ बी से उतराई कीमत का) उचित समायोजन करने के पश्चात् किया गया। यह देखा जा सकता है कि सऊदी

अरेबिया से जांच की अवधि के दौरान भारत के वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को किए गए निर्यात की कुल मात्रा 10,190 मी.टन थी। ये सभी निर्यात पारित कीमतों पर नहीं थे। सऊदी अरेबिया से किए गए कुल 10,190 मी.टन के निर्यातों में से 2574 मी.टन (अर्थात 25.51%) निर्यात (पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना) पारित कीमतों पर थे और 7760 मी.टन (अर्थात 76.90%) निर्यात; भारत को उनके संभावित विपथन की स्थिति में, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमतों (पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना) से कम कीमतों पर किए गए थे। तथापि, जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान सऊदी अरेबिया से भारत के अलावा वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को किए गए निर्यात की कुल मात्रा कम होकर 10,144 मी.टन थी। सऊदी अरेबिया से किए गए कुल 10,144 मी.टन निर्यातों में से 1,101 मी.टन (अर्थात 10.86%) निर्यात पारित कीमतों (पाटन रोधी शुल्क जोड़े बिना) पर किए गए थे और 4831 मी.टन (अर्थात 46.62%) निर्यात यदि उनका विपथन भारत की ओर कर दिया जाता तो घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत (पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना) पर किए गए थे।

77. रूस के मामले में, प्राधिकारी ने रूस से तृतीय देशों को किए गए निर्यातों के संबंध में जानकारी विश्व व्यापार ऐटलस आंकड़ों से प्राप्त कर विश्व व्यापार ऐटलस में यह आंकड़े जांच की अवधि के लिए उपलब्ध हैं परंतु जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सम्बद्ध वस्तु के रूप में किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए प्राप्त आंकड़ों का निम्नवत विश्लेषण किया है।

रूस

विवरण	इकाई	जांच की अवधि में मात्रा
सभी देशों को (भारत को छोड़कर) किए गए निर्यात की कुल मात्रा	मी. टन	15,244
पाटित कीमतों (सामान्य मूल्य से तुलना करने पर) पर किए गए निर्यात की मात्रा	मी. टन	9,643
क्षतिकारी कीमतों (घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से तुलना करने पर) पर निर्यात की मात्रा	मी. टन	14,671
पाटित निर्यातों का हिस्सा	%	63.26
क्षतिकारी निर्यातों का हिस्सा	%	96.24

78. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान रूस का, भारत को छोड़कर, विश्व के अन्य देशों को किए गए निर्यात की कुल मात्रा 15,244 मी.टन है। रूस द्वारा अन्य देशों को किए गए कुल 15,244 मी.टन के निर्यातों से 9,643 मी.टन (अर्थात 63.26%) निर्यात पाटित कीमतों (पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना) और यदि उनका विपथन भारत की ओर कर दिया जाता है तो, 14671 मी.टन (अर्थात 96.24 %) निर्यात घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत (पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना) से कम कीमत पर किए गए हैं। भारत में सम्बद्ध वस्तु की 12137 मी. टन की मांग पर विचार करते हुए जांच की अवधि में रूस से तृतीय देशों को पाटित कीमतों पर किए गए निर्यात (63.26%) और क्षतिकारी कीमतों पर किए गए निर्यात (96.24 %) को काफी महत्वपूर्ण माने जाने का प्रस्ताव है।
79. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो सम्बद्ध देशों, सऊदी अरेबिया और रूस से तृतीय देशों को पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात होगा। तथापि, सऊदी अरेबिया के मामले में इन पाटित एवं क्षतिकारी निर्यातों की मात्रा में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि कमी में आई है। रूस के संबंध में जांच की अवधि के पश्चात् के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कार्य-कारण सम्बंध

80. कार्य करण सम्बंध के मुद्दे के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण की जांच की गई है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति तथा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति एवं पाटित आयातों के बीच कारणात्मक सम्बंधों से संबंधित मुद्दों के बारे में विस्तृत जांच की गई। यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त तथा यह स्थापित करते हैं

कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा कारित की गई है। कारणात्मक सम्बंधों के बारे में अनुबंध-II के पैराग्राफ (v) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:—

"यह अभिव्यक्त होना चाहिए कि पाटित आयात, पाटन के प्रभाव के जरिए, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (ii) और (iv) में उल्लेख किया गया, घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक सम्बंधों की जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत संगत साक्ष्य की जांच पर आधारित होना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटित आयातों के अलावा उन अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करेगा जो उसी अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं और उन अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस सम्बंध में जो अन्य कारक प्रासंगिक होंगे उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन आयातों की मात्रा और कीमत जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई, मांग में संकुचन या खपत प्रणाली में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएँ और घरेलू तथा विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।"

क. अन्य स्रोतों से आयात की मात्रा एवं कीमत

81. यह नोट किया जाता है कि सम्बद्ध स्रोत से किए गए आयातों के अलावा अन्य देशों से भी आयात किए गए हैं। यह नोट किया जाता है कि ईरान से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगा है। अन्य सभी देशों से किए गए आयातों की मात्रा या तो कम है अथवा इन देशों के आयातों की कीमत बहुत अधिक है।

ख. मांग से संकुचन और/ या खपत की प्रणाली में परिवर्तन

82. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। इसके अलावा, इसमें वृद्धि हुई है और सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। अतः मांग में संकुचन वह संभावित कारण नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में अपना योगदान दिया हो। इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि मांग में कमी होने की संभावना है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएँ और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

83. सम्बद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएँ नहीं हैं। अतः, घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने का यह कारक नहीं हो सकता है।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास एवं निर्यात निष्पादन

84. इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही निकट भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है। अतः, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का एक कारक नहीं हो सकता है।

ड. निर्यात निष्पादन

85. याचिकाकर्ता कंपनियाँ विचाराधीन उत्पाद की कुछ मात्रा का निर्यात करती हैं। तथापि, क्षति का आकलन करने के लिए घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना पर यथासंभव सीमा तक विचार किया गया है।

च. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

86. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। अतः घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति का एक कारण नहीं हो सकती है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा बिक्रीकृत अन्य उत्पादों का निष्पादन

87. याचिकाकर्ता कंपनियाँ बहु-उत्पाद कंपनियाँ हैं। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रदान कराई गई सूचना में अन्य उत्पादों की जानकारी नहीं होती है। अतः, अन्य उत्पादों का निष्पादन का घरेलू उद्योग की क्षति पर कोई प्रभाव नहीं होता है।

क्षति एवं क्षति मार्जिन की मात्रा

88. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना सम्बद्ध

देशों से सम्बद्ध आयातों के लदान मूल्य से की गई। इस प्रकार, क्षति मार्जिन (पाटनरोधी शुल्क के बिना) की गणना निम्नवत की गई है:

विवरण	इकाई	सऊदी अरेबिया- केमनाल	सऊदी अरेबिया- अनय	रूस- कोई
गैर क्षतिकारी कीमत	अम. डा/मी. टन	***	***	***
लदान कीमत	अम. डा/मी. टन	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम. डा/मी. टन	***	***	***
क्षति मार्जिन (%)	%	***	***	***
क्षति मार्जिन (%) रेंज	%	0-10	0-10	10 to 20

झ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

89. प्राधिकारी ने यह पाया कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में उत्पादन के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजारों में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ दूर होगा, यह घरेलू उद्योग को होने वाले पतन से बचायेगा तथा उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तु की व्यापक च्वाइस की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से सम्बद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा और अतः इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता, अब भी, आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

90. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का उन्मूलन करना होता है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो देश के आम हित में है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ज. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

ज.1 विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

91. मेथनाल कैमिकल कंपनी (कैमनाथ) किंगडम आफ सऊदी अरेबिया ने प्रकटन विवरण पश्चात निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं। रूसी परिसंघ से किसी भी निर्यातक/उत्पादक से प्रश्नावली का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने रूसी परिसंघ और निर्यात मेटाफ्रैक्स तथा आरएमएफ कैमिकल्स एस ए की ओर से कतिपय विधिक प्रस्तुतिकरण किए जिन पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में जांच की संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है। वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं-

(क) कैमनाल द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

i) डी जी ए डी समाप्त पाटनरोधी शुल्क की निरन्तरता की सिफारिश नहीं कर सकता है। सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 89/007-सीमाशुल्क से 24 जुलाई, 2012 को शुल्क समाप्त हो गया और एक समाप्त अधिसूचना को पुनर्जीवित करने के लिए सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 38/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) अवैध होने के कारण संबंधित उत्पाद पर कोई पाटन मौजूद नहीं है जिसकी डीजीएडी को पाटनरोधी शुल्क की निरन्तरता के लिए समीक्षा करने की जरूरत है।

- ii) प्रत्युत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया से भारत में सम्बद्ध वस्तु पर कोई पाटन नहीं है।
- iii) संबद्ध देशों से आयात नाममात्र के हुए हैं और उनसे क्षति नहीं हुई है। असंबद्ध देशों से आयात क्षति का प्रमुख कारण, यदि कोई, हैं जिसका घरेलू उद्योग द्वारा सहन किया गया। यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए सऊदी अरेबिया के मूल्य के आयातों से होने वाला कीमत अधोविक्रयण नकारात्मक है। अतः, सऊदी अरेबिया से आयात के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।
- iv) रुपये के अवमूल्यन के कारण भी सऊदी अरेबिया से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।
- v) सऊदी अरेबिया से संबद्ध वस्तु के पाटन की भी कोई संभावना नहीं है। डीजीएडी द्वारा किया गया संभावित विश्लेषण संबद्ध वस्तु के उच्चतर विनिर्मित सामान्य मूल्य के कारण है।
- vi) सऊदी अरेबिया से भारत में ना तो कोई पाटन हुआ है और न ही पाटन होने की कोई संभावना है इसलिए घरेलू उद्योग को होने वाली किसी भी क्षति के लिए इन आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- (ख) मेटाफ्रैक्स और आरएमएफ कैमिकल्स एस.ए. द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण
- vii) मेटाफ्रैक्स न केवल रुस का बल्कि संपूर्ण यूरोप का सबसे बड़ा रासायनिक संयंत्र है। इसमें मिथोनॉल: लगभग 1 मिलियन टन प्रति वर्ष; हेक्सामाइन: 35000 टन प्रतिवर्ष पैन्टाइराइड्रिटोल: 25000 टन प्रति वर्ष की दर से उत्पादन होता है।
- viii) हेक्सामाइन का निर्यात 35 से अधिक देशों को किया जाता है। किसी भी देश ने पिछले 30 वर्षों के विदेश व्यवसाय ने किसी भी उत्पाद का पाटन करने का मेटाफ्रैक्स पर न तो कोई आरोप लगाया है और न ही पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया है।
- ix) भारत को हेक्सामाइन का निर्यात मेटाफ्रैक्स के निर्यातक भागीदार आरएमएफ कैमिकल्स एस.ए. के जरिए किया जाता है। भारत को निर्यात एफसीए सुपुर्दगी (अंतरदेशीय और समुद्री भाड़े को आरएमएफ कैमिकल्स एस.ए. द्वारा कवर किया जाता है) 700-730 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन की औसत कीमत से किया जाता है।
- x) वर्ष 2011 के दौरान कुल हुए 16,669.50 मी.टन के निर्यातों में से भारत को 312 मी.टन का निर्यात किया गया; जो कुल निर्यातों का केवल 1.87 प्रतिशत है। इतनी कम मात्रा में किया गया निर्यात भारतीय घरेलू उद्यमियों को आर्थिक क्षति कारित नहीं कर सकता।
- xi) अन्य रुसी आपूर्तिकर्ता, जेएससी "श्चैकिनोआजोट" ने वर्ष 2011 के पश्चात से उत्पादन बंद कर दिया है। इसलिए रुस से भारत को निर्यात में पिछले 2 वर्षों में भारी गिरावट आयी है।
- xii) मेटाफ्रैक्स को भारतीय व्यापारिक कंपनियों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के पश्चात उत्पादन लागत बिक्री कीमत से बहुत ज्यादा हो जाती है। कई अनुरोधों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में हेक्सामाइन की मांग स्थानीय आपूर्ति क्षमता से कहीं अधिक है। मेटाफ्रैक्स अपने उत्पाद की बिक्री घरेलू कंपनियों की वितरण श्रृंखला के माध्यम से हेक्सामाइन के भारतीय उत्पादकों के घनिष्ठ सहयोग से करना चाहता है। मेटाफ्रैक्स उनसे बातचीत करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों से बैठक करने का इच्छुक है।
- xiii) आरएमएफ कैमिकल्स एस.ए. ने उपर्युक्त शर्तों के अंतर्गत मेटाफ्रैक्स की ओर से सहयोग करने के प्रयोजन से कनोडिया और सिमालिन से संपर्क किया है।

- xiv) मेटाफ्रैक्स से पाटनरोधी शुल्क हटाने और कंपनी के साथ सकारात्मक वार्ता करने पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।
- (ग) रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के विदेश व्यापार समन्वय, विकास एवं विनियमन विभाग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण
- xv) वर्ष 2008 से 2012 की अवधि के दौरान भारतीय बाजार में रूस का हिस्सा 2.7 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ। यह आंकड़ा बाजार में अत्यधिक कम मात्रा की उपस्थिति का संकेत देता है और इसका भारतीय विनिर्माताओं की कीमतों पर भारी अथवा कम करने वाला प्रभाव नहीं डाल सकता है।
- xvi) इसके अतिरिक्त रूसी समुदाय के लिए भारतीय बाजार में बिक्री कीमत से संबंधित आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि उसने संधारणीय विकास हुआ है वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 की वार्षिक कीमत वृद्धि 13 प्रतिशत और 2011-12 की वार्षिक कीमत वृद्धि 36 प्रतिशत थी।
- xvii) भारतीय घरेलू उत्पादकों, जिनका उत्पाद वर्ष 2002-03 में 8000 मी.टन था ने अपना उत्पादन बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 12000 मी.टन कर दिया।
- xviii) घरेलू उत्पादन की मात्रा जो वर्ष 2002-03 में 6000 मी.टन थी वर्ष 2011-12 में दुगुनी होकर 11000 हजार मी.टन हो गई।
- xix) घरेलू उत्पादकों की उनकी गृह बाजार में बिक्री सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। यह बिक्री वर्ष 2008-09 में 9130 मी.टन थी जो बढ़कर वर्ष 2011-12 में 10113 मी.टन हो गयी (11 प्रतिशत वृद्धि)
- xx) घरेलू उत्पादकों का बाजार पर कब्जा है। घरेलू उत्पादकों का खपत में हिस्सा सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2011-12 में हिस्से में गिरावट 4.6 प्रतिशत थी और यह बहुत अधिक थी।
- xxi) घरेलू उत्पादकों ने अपनी निर्यात आपूर्ति को बढ़ाया। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में लगभग कोई निर्यात नहीं हुआ जबकि घरेलू उत्पादकों ने वर्ष 2010-11 में 368 मी.टन और वर्ष 2011-12 में 962 मी.टन का निर्यात किया। वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2011-12 में निर्यात में 63 गुणा वृद्धि हुई।
- xxii) क्षमता कार्यदाव का संकेतक सकारात्मक बना रहा। क्षमता कार्य दाव में वर्ष 2011-12 में 92 प्रतिशत तक की गिरावट के कारण वर्ष 2010-11 की तुलना में उत्पादन क्षमता में 2000 मी.टन तक की वृद्धि हुई, जबकि बाजार में इस वस्तु की खपत जो वर्ष 2010-11 में 11118 मी.टन थी से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 11638 मी.टन हो गई जो केवल 500 मी.टन की वृद्धि है।
- xxiii) कर्मचारियों की संख्या जो वर्ष 2008-09 में 100 थी, से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 168 हो गई।
- xxiv) वेतन दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। यह वर्ष 2008-09 में 100 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 168 हो गई।
- xxv) कार्यकुशलता में भी स्थिर उद्भवन हुआ- यह वर्ष 2008-09 में प्रतिदिन वृद्धि 25 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 30 हो गई और प्रति व्यक्ति जो वर्ष 2008-09 में 100 थी से मामूली से घटकर वर्ष 2011-12 में 95 रह गई।
- xxvi) सकल अचल परिसंपत्तियों में निवेश में स्थिर वृद्धि प्रदर्शित होती है। सकल अचल परिसंपत्तियां जो वर्ष 2008-09 में 100 यूनिट थी बढ़कर (83 प्रतिशत वृद्धि) वर्ष 2011-12 में 183 यूनिट हो गई और निवल अचल परिसंपत्तियां जो वर्ष 2008-09 में 100 यूनिट थी बढ़कर (108 प्रतिशत वृद्धि) वर्ष 2011-12 में 208 यूनिट हो गई।
- xxvii) पाटनरोधी शुल्क 10 वर्षों से अधिक समय से प्रभावी है। इस अवधि के लिए राष्ट्रीय उद्योग ने उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि कर ली, हेक्सामाइन का उत्पादन अधिक होने लगा और इस समय इसने भारतीय बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। उपर्युक्त पैरामीटरों से हुई वृद्धि यह प्रमाणित करती है कि वर्तमान समय में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई।
- xxviii) भविष्य में किसी वास्तविक क्षति की चुनौती की उपलब्धता का सुनिश्चयन तथ्यों पर विश्वास करता है न कि आरोपों, प्रत्यारोपों और दुरुस्थ संभावना पर। किसी ठोस आधार के अभाव में पाटनरोधी शुल्क में विस्तार करना केवल उस संभावना पर आधारित है जिसमें, यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो वर्तमान समीक्षा के परिणाम स्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति होने लगेगी।

xxix) रुसी पक्ष स्थानीय बाजार की रक्षाकरने के लिए कोई उपाय लागू करने के भारतीय पक्ष के अधिकार का विरोध नहीं करता है। साथ ही हम समझते हैं कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय उद्योग की महत्वाकांक्षाओं में संतुलन बनाये रखना जिससे कि विदेशी उत्पादों के लिए बाजार बंद हो जाये और बाजार संरक्षण के पक्षपात रहित साधनों के आधार पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाई रखी जाये। रुस के मूल के हेक्सामाइन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने से उद्योग की स्थिति खराब होना एक पूर्वापेक्षा नहीं है।

xxx) रुसी पक्ष को यह उम्मीद है कि भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस उपाय का अन्य पांच वर्षों के लिए विस्तार करने पर पक्षपात रहित विश्लेषण करेगा और उपर्युक्त तर्कों के आधार पर इस प्रक्रिया के परिणाम पर उचित निर्णय लेगा।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

92. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित है-

- i) प्रकटन विवरण यह स्पष्ट करता है कि मेथनॉल केमिकल्स कंपनी (केमनॉल), सऊदी अरेबिया के अलावा किसी भी अन्य विदेशी उत्पादक ने सहयोग नहीं किया है।
- ii) संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अपने उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य और गैर क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर करना जारी रखा। अतः, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने का आशय भारत को पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर भारी आयात करना होगा।
- iii) निर्यातकों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी।
- iv) दो संबद्ध देशों से कीमत अधोरदन/अधोबिक्रयण सकारात्मक है।
- v) लाभ, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह, मालसूची आदि के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- vi) पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ में कमी हुई है।
- vii) इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को अपनी क्षमताओं का सर्वाधिक उपयोग करने से वंचित किया गया है।
- viii) यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से भारत को भारी मात्रा में निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर होने लगेंगे क्योंकि संबद्ध देशों से तृतीय देशों को निर्यात कीमत भारी मात्रा के रूप में पाटित कीमत और क्षतिकारित कीमत पर किया गया है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में यह निर्यात भारत की ओर विपथित हो जायेंगे। भारत में मांग की तुलना में यह मात्रा बहुत अधिक होगी।
- ix) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बहुत ही कम किया गया है।
- x) संबद्ध देशों से वैश्विक बाजार में पाटित और क्षतिकारी निर्यात पाटित एवं क्षतिकारी कीमतों पर किया गया है।
- xi) याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शुल्क का निर्धारित स्वरूप, अमेरिकी डालर यथा अभिव्यक्त, की निरंतरता की सिफारिश करें।
- xii) अतः प्रकटन विवरण यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का और अधिक विस्तार किये जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता उसके लिए अनुरोध करते हैं।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

93. प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित जांच की गई:

- i) जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि सऊदी अरेबिया से भारत को मौजूदा निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं किये जाते हैं, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि जांच की अवधि में कम पाटन हुआ है परंतु किसी निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी को चालू अवधि के दौरान पाटन तथा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में उसकी संभावना का निर्धारण भी करना होता है। इस उत्पाद का मौजूदा पाटन न होने का आशय यह नहीं है कि

उसका पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में भी पाटन होने की संभावना नहीं रहेगी। तथ्यों से यह स्पष्टतः स्थापित होता है कि सऊदी अरेबिया से संबद्ध वस्तु का तृतीय देशों को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया था परंतु जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में इन निर्यातों की मात्रा में गिरावट आई है।

- ii) जहां तक इस सवाल का संबंध है कि अभी हाल ही में भारतीय रुपये का भारी अवमूल्यन हुआ है इसलिए प्राधिकारी को जांच की अवधि से संबंधित पैरामीटरों पर विचार करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही के अवधि में विनिमय दर में अस्थायी परिवर्तन से कोई निष्कर्ष निकालना अपर्याप्त होगा खासकर ऐसी स्थिति में जब विनिमय दर में इस परिवर्तन का न केवल उत्पाद कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि इससे कच्चे माल की कीमतें भी प्रभावित होगी।
- iii) यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और ढंग में प्रश्नावली का प्रत्युत्तर न तो मेटाफ्रैक्स द्वारा दिया गया और न ही आरएमएफ कैमिकल्स एस.ए द्वारा दिया गया। यद्यपि इन पक्षकारों द्वारा कुछ प्रस्तुतिकरण किये गये हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन की संभावना अथवा निरंतरता का निर्धारण करने के लिए विहित स्वरूप और ढंग में प्रश्नावली का प्रत्युत्तर किया जाना जरूरी है। रुस के किसी उत्पादक/निर्यातक से विहित स्वरूप और ढंग में प्रश्नावली का प्रत्युत्तर न होने की स्थिति में प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर मौजूदा निर्धारण करने के लिए मजबूर हैं।
- iv) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि रुसी उत्पादकों को तृतीय देशों में उत्पादकों द्वारा पाटन का दोषी नहीं ठहराया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच कानूनी उपबंधों के अनुसार आयोजित करना अपेक्षित है। यह तथ्य कि किसी अन्य देश ने रुस के निर्यातों के विरुद्ध पाटनरोधी मामला दर्ज नहीं किया है, यह प्रमाणित नहीं करता है कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिये जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को उसके परिणाम स्वरूप क्षति होने की संभावना नहीं है।
- v) रुस के उत्पादकों द्वारा भारत और तृतीय देश को किये गये निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान कराने और उसे वर्तमान प्रयोजन के लिए अपनाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातों का देश वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन निर्यातों की कीमतों के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह सूचना यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो पाटन एवं उसके परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त इस जांच यह स्पष्ट होता है कि रुस से विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में निर्यात पाटित कीमतों पर किया जाता है और भारत को यह निर्यात, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचायेगे।
- vi) जहां तक इस शर्त का संबंध है कि रुस के आयात भारत को होने वाले कुल आयातों का एक छोटा सा हिस्सा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न स्रोतों से आयात परस्पर और घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। यह स्थापित हुआ है कि रुस के निर्यातों की तृतीय देशों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले निर्यातों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यदि रुस के निर्यातों की भारतीय बाजारों में तृतीय देशों के निर्यातों से प्रतिस्पर्धा होती तो उससे, पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की तीव्रता की संभावना बढ़ जाती। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि रुस के निर्यातक प्रत्युत्तरदाता ने यह स्वीकार किया है कि उसने इस उत्पाद का तृतीय देश को भारी मात्रा में निर्यात किया है।
- vii) जहां तक विभिन्न क्षति पैरामीटरों के बारे में घरेलू उद्योग के मौजूदा निष्पादन के संबंध में किये गये प्रस्तुतिकरण का सवाल है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का मौजूदा निष्पादन केवल यह निर्धारित करने के लिए संगत है कि क्या चालू अवधि में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को इस समय क्षति हो रही है। वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार से अधिक से अधिक यह स्थापित होता है कि इस समय घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। तथापि, इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिये जाने से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है। तृतीय देशों को निर्यातों की कीमत और

मात्रा और उनमें पाटित एवं क्षतिकारी आयातों का हिस्सा यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिश

94. दिए गए तर्कों, प्रदान कराई गई सूचना और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त विश्लेषण, जिसमें पाटन एवं क्षति की निरन्तरता की संभावना शामिल है, के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष और सिफारिश करते हैं कि -

- जहां तक सऊदी अरेबिया का संबंध है, कैमनॉल द्वारा प्रस्तुत जानकारी और प्राधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर यह देखा जाता है कि कैमनॉल ने जांच की अवधि में भारत को संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। अतः, प्राधिकारी सऊदी अरेबिया के सहयोगकर्ता उत्पादक/निर्यातक कैमनॉल, सऊदी अरेबिया के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर शुल्क के स्तर का निर्धारण करते हैं।
- जहां तक रूस का संबंध है, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रूस के निर्यातकों द्वारा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित धन से सहयोग न करने और उनके आंकड़ों का सत्यापन न हो पाने की स्थिति में संभावना विश्लेषण महत्वपूर्ण है। इस तथ्य के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि यदि वर्तमान शुल्क का प्रतिसंहरण नहीं किया जाता है तो रूस से संबद्ध वस्तु के भारत को पाटित और क्षतिकारी निर्यातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है और उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित किये जाने की संभावना है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पर विचार करते हुए इन पाटित और क्षतिकारी निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है। यदि मौजूदा शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो रूस से पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की पूर्ण संभावना है।
- अतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों से घरेलू उद्योग की संभावित पाटन एवं क्षति से रक्षा करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर संबद्ध देशों से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की अधोलिखित शुल्क तालिका के अनुरूप निरन्तरता बनाए रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं रूस के मूल से 25 जुलाई, 2007 को अपनी अधिसूचना सं. 89/2007-सीमाशुल्क से और सऊदी अरेबिया के मूल के अधोलिखित तालिका में उल्लिखित राशि के अनुरूप निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है।
- प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम शुल्क नियम का अनुपालन किए जाने के संबंध में प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति दूर की जा सके। तदनुसार, रूस और सऊदी अरेबिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर, अधोलिखित तालिका में उल्लिखित राशि के अनुरूप निर्णायक पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क मद	वस्तु का विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2921.2910	हेक्सामाइन	सऊदी अरेबिया	सऊदी अरेबिया	मेथनाल केमिकलस कंपनी (कैमनॉल) सऊदी अरेबिया	मेथनाल केमिकलस कंपनी (कैमनॉल) सऊदी अरेबिया	11.22	मी.टन	अमेरिकी डालर
2	-वही-	-वही-	सऊदी अरेबिया	सऊदी अरेबिया	अन्य	कोई	86.35	मी.टन	अमेरिकी डालर
3	-वही-	-वही-	सऊदी अरेबिया	सऊदी अरेबिया	कोई	अन्य	86.35	मी.टन	अमेरिकी डालर

			अरेबिया	अरेबिया					डालर
4	-वही-	-वही-	सऊदी अरेबिया	सऊदी अरेबिया के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	86.35	मी.टन	अमेरिकी डालर
5	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	सऊदी अरेबिया	कोई	कोई	86.35	मी.टन	अमेरिकी डालर
6	-वही-	-वही-	रूस	रूस	कोई	कोई	201.70	मी.टन	अमेरिकी डालर
7	-वही-	-वही-	रूस	रूस के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	201.70	मी.टन	अमेरिकी डालर
8	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	रूस	कोई	कोई	201.70	मी.टन	अमेरिकी डालर

95. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का लदान मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित निर्धार्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के सिवाय अन्य सीमाशुल्क कर शामिल होंगे।

96. केन्द्रीय सरकार के इस आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर तथा सेवा कर अधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

जे.एस.दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2013

(Final Findings)

Subject : Sunset Review of anti dumping duty imposed on imports of Hexamine originating in or exported from Saudi Arabia and Russia-reg.

No.15/1000/2012-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (herein after referred to as the AD Rules), the Designated Authority had originally initiated investigations in the imports of Hexamine from Saudi Arabia and Russia (hereinafter referred to as the subject countries) on 20th February, 2001. The final findings of the original investigations were issued on 15th February, 2002 vide Designated Authority's Notification No. 12/1/2000- DGAD and whereas the Central Government imposed definitive anti-dumping duty on the imports of Hexamine from Saudi Arabia and Russia w.e.f. 28.6.2001 vide its Notification No. 31/2002-Custom of 27th March, 2002. The Designated Authority initiated the first sunset review investigations to examine the continuation or likelihood of dumping and injury to the domestic industry vide Notification dated 15th June, 2006. The Authority issued Final Findings vide Notification No. 08/1/2001 (SSR)-DGAD on 14th June, 2007 and recommended enhancement in the quantum of anti dumping duty. The Central Government issued its

Notification No. 89/2007-Customs dated 25th July, 2007, imposing the enhanced quantum of anti dumping duty on imports of Hexamine from the subject countries.

1. Whereas M/s. Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar, have filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules alleging dumping of Hexamine originating in or exported from the subject countries and requested for review, modification and continuation of the anti-dumping duties.
2. And whereupon in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority issued a public notice dated 17th July 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the second sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. And whereas, the antidumping duty as notified vide Notification No. 89/2007-Customs dated 25th July, 2007 was extended up to 24th July, 2013 vide notification No. 38/2012-Customs dated 6th August, 2012 in terms of Section 9(A)(5) of the Act.

B. PROCEDURE

4. In this investigation, the procedure described herein below has been followed:

- i. The Authority received a duly substantiated sunset review application from M/s. Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar, as domestic industry for review, enhancement and continuation of the duty in force on import of Hexamine (hereinafter referred to as the subject goods) from Saudi Arabia and Russia. The petitioners submitted prima facie evidence in this regard, requesting for review, continuation and enhancement of the anti dumping duty in force.
- ii. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioners to justify initiation of the investigation, decided to initiate sunset review investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
- iii. The scope of the present review covers all aspects of the previous Notifications.
- iv. The Embassies of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- v. The Authority sent copies of the initiation notification dated 17th July, 2012 to the Embassies of the subject countries, known exporters/producers from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per the information available with the Authority. Parties to this investigation were requested to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters/producers were also sent to the Embassies of the subject countries along with the list of known exporters / producers with a request to advise the other exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time limits.
- vi. Questionnaire was sent to the following known exporters/producers from the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

Zolt Company Limited, 62 – Karia Marksa Avenue, Kamensk-Shakhtinsky, Rostove Region, Russia	Trigon Gulf Fzoo (Trader), P.O. Box 01408, Jubei, Ali, Dubai, U.A.E.
Chemi Ru Russian Federation, 454008, Chelyabinsk, Sverdlovskiy Prospect 2, Suite 325, Russia	Shchekinoazot United Chemical Company Trading house "Shchekinoazot" Ltd. 7 Simferopolskaya Street, Pervomayskiy, Shchekino district, Tula region, Russia-301212
CHEMANOL Ho: Novotel Business Park, Dammam-Khobar Highway Bldg No. 3 Ist Floor, P O Box 3139 Dammam – 31471, Kingdom of Saudi Arabia	CHEMANOL Work/Other A1 Jubail Industrial Area Road-251 Crossing 198, P O Box - 2101, Jubail-31951, Kingdom of Saudi Arabia.
Metafrax, Joint Stock Comapany Metafrax Gubakha, Prem Region, Russia-618250	

- vii. The Authority received questionnaire response from Methanol Chemicals Company (Chemanol), Kingdom of Saudi Arabia. No questionnaire response was received from any exporter/producer from Russian Federation despite the fact that it was sent to Metafrax, Russia. However, the Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India made certain legal submissions on behalf of the Russian Federation and the exporters Metafrax and RMF Chemicals S.A which have been considered in this Final Findings Notification to the extent found relevant to the investigation.
- viii. Questionnaire was sent to the following known importers, users and associations of the subject goods in India seeking necessary information:

Shubham Chemicals & Solvents Ltd., 1/26, Roop Nagar, Delhi-110 007	Ashoka Marketing Agencies, 168, Govindappa Naicken Street, Parrys, Govindappa Naicken Street Parrys, Mount Road, Chennai - 600001
Esterkote Pvt. Ltd., 14, Iind Floor Balaram Road, Adyar, Chennai - 600 020	Gargi Huttens P. Ltd –Albertus Pvt. Ltd. 203, Vasant Vihar Complex, Chembur, Mumbai-400 074,
Saket Chemicals, Esplanade Mansion, Kalaghoda, Sion, Mumbai – 400022	Dujowala Paper Chem 8/2/813, Tulsiani Chambers, 8th Floor, 212 Nariman Point, Mumbai
IVP. Ltd. Golmuri, Jamshedpur-831 003.	T.R. Chemicals Pvt. Ltd. Shubhan Chowk, Mali Road, Rajgangur, Orissa-770 017
Ballabh Garh HPL Industries Pvt. Ltd. Plot No 72, Sector 25, Faridabad - 121001	Shivam Adhesives Pvt. Ltd. 106, Bhagat Singh Chowk Hanumangarh Jn, Rajasthan
IVP. Ltd. D-19, MIDC Indl. Area, Boisar, Tarapur-Tahsil Palghar, Dist: Thane.	Foseco India Ltd. Gat Nos. 922 & 923, Sanaswadi, Taluka Shirur, Dist. Pune 412208.
National Chemical Industries F-25, Opp. Multimetel, Chambal Industrial Area, Chemical Supplies Kota, 324005	Rajasthan Coatings & Chemicals, G 572 A Phase II , Mia Basni, Jodhpur
Demaco Polymers P.Ltd., 12/6, Milestone, Mathura Road, Sarai Khwaja, Faridabad	Indo-gulf Industries Ltd., 213, Rectangle-1, D-4, District Centre, Saket, New Delhi
Getwell Chem, 11 Paras Rampuria AP, TPS VI Milan Subway, Santacruz West, Mumbai – 400054	Modichem Plast Materials P. Ltd., D-17, New Highway Park, E-3, Co-Op Housing Society Ltd, Mumbai
Rupani Chemical Agencies, 99 Govindappa Naiken Street Parrys, Chennai - 600001.	X 'Pro India Ltd., 1, Industrial Area, N.I.T., Faridabad
Goodwill Rasayan, 4th Flr Room No48, 296, Samuel Street, Crawford Market, Chhatrapati Shivaji Terminus (VT), Mumbai -	United Meta Chem Pvt. Ltd., Survey No 72/76, Mhasoba Nagar, Off Majari Road, Near Bharat Forge Company, Mundhwa, Hadapsar, Pune – 411036 Prima Recipoles (Pune)
Resins & Plastics Ltd., Plot No. A-8, Marol Industrial Estate Of MIDC Cross Road B, Street No.5 Andheri (East), Mumbai-400 093	Pragati Chemicals P. Ltd., 3605, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, Gujarat
D.C. Chemicals, 4, Synagogue Street, 7th Floor, Room No. - 703 Kolkata	Promis Industries, B-27, Phase-III, Adityapur Industrial Area Jamshedpur
P. Kumar & Co., Beadon Street, Kolkata 700006	Techno Waxchem P. Ltd., 3c, Hitech Chambers, 84/1b, Topsia Road(S), Kolkata
Dujadwala Paperchem,	National Techno Industries,

Dujodwala Paper Chemicals Limited 907, Raheja Centre, 214, Nariman Point, Mumbai - 400 021.	F - 25, Chambal Industrial Area Kota, Rajasthan
A.V.M. Sales Corpn., 1D, 3rd Floor, Canal Road, Mahavirtalla, Near Tollygunj Bridge, New Alipore, Alipore, Kolkata – 700053	Ordnance Factory Nagpur, Ambajhari Defence Project, Amrawati Road, Nagpur 440021
S.R. Plastics, A 83/3, Industrial Area, Wazirpur, Ashok Vihar H.O. Delhi 110052	

- ix. In response to the initiation notification, none of the importers, users or associations has responded with Questionnaire response.
- x. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April 2011 to 31st March 2012. However, injury analysis shall cover the years 2008-09, 2009-10, 2010-11 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.
- xi. The import data for the period of investigation and preceding three years was taken from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).
- xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xiii. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xiv. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 31st May, 2013. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in the Disclosure Statement.
- xvi. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producers and the cooperating exporter was carried out to the extent deemed necessary.
- xvii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xix. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 26.8.2013. The post Disclosure Statement submissions received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- xx. The date to complete the investigation was extended by the Ministry of Finance up to 17th November, 2013 at the request of the Authority.
- xxi. *** In this Final Findings Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.
- xxii. The US exchange rate for the POI has been taken as Rs. 48.14 = 1 US\$ as per notifications issued by the Ministry of Finance.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the Domestic industry

5. Domestic industry has submitted that the present review investigation is a sunset review investigation and the product involved in the original investigation and the first sunset review investigation as well as in the present sunset review investigation is Hexamine. The product under consideration in the present sunset review should remain the same as the

previous investigations as the present investigation is only review of the anti-dumping duty. It is further argued that Hexamine produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like product. The domestic industry has submitted that the scope of the product under consideration and like article is not required to be examined in a sunset review. Hexamine is an organic chemical classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2921.2910.

C.2 Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

6. None of the producers/exporters, importers, consumers and any other interested party has filed any comments or submissions with regard to the product under consideration and like articles.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is Hexa Methylene Tetramine, generally known as Hexamine in market parlance. It is classified under custom subheadings 2921 of Chapter 29 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
8. Hexa Methylene Tetramine is a white crystalline powder with a sweet metallic taste. In the pure form, it is colourless and odourless. It crystallizes in rhombic dodecahedrons. Hexa Methylene Tetramine compound is also known as Ammoform, Methenamine, Cystamine, Cystogen, Urotropine.
9. The goods manufactured by domestic industry and exported from the subject countries are identical and technically and commercially substitutable and, therefore, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like articles, as per Rule 2(d) of rules Supra, to the product under consideration.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY

D.1 Views of the Domestic industry

10. The application has been jointly filed by M/s. Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar. There are two more producers of Hexamine in India apart from the petitioners. The other two producers are M/s. Rockhard and M/s. Newton Engineering. However, to the best of the petitioners' information, M/s. Rockhard is closed and M/s. Newton is closed most of the time due to financial problems. Therefore, the production of the petitioners constitutes majority proportion in Indian production. The petition, therefore, satisfies the requirement of standing under the Rules and petitioner companies constitute domestic industry within the meaning of the Anti-Dumping Rules.

D.2 Views of the exporter from Saudi Arabia

11. None of the producers/exporters, importers, consumers and any other interested party has filed any comments or submissions with regard to the scope of the Domestic Industry.

D.3 Examination by the Authority

12. Rule 2(b) under the AD Rules provides as follows:-

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'Domestic Industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

13. The application has been jointly filed by M/s. Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar on behalf of the domestic industry. As per the information available with the Authority, the applicants account for a major proportion of Indian production of the subject goods and, therefore, constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

Views of exporters/importers/other opposing interested parties

14. Excessive confidentiality has been claimed with respect to the following:
 - a. Raw material prices adopted as per ICIS-LOR has been kept confidential though there is nothing confidential about such source.

- b. Domestic industry has computed ex-factory export price by taking arbitrary adjustments towards ocean freight, insurance, commission, inland freight, port expenses and bank charges, without providing any evidence for such adjustments.
- c. While domestic industry is justified in claiming confidentiality with respect to its own conversion costs, however, domestic industry is totally wrong in claiming confidentiality with respect to raw material price adopted for Methanol and computation of price for Formaldehyde.
- d. Financial statements has not been provided.

Views of the Domestic industry

15. The domestic industry has not given any submissions with respect to confidentiality claims of the cooperating exporter.

Examination by the Authority

16. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied with regard to claim on confidentiality, the same has been allowed in accordance with the practice of the Authority.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

Views of the exporter from Saudi Arabia

17. DGAD can review the need for continuance of antidumping duty only when there is anti-dumping duty in force. With Customs Notification No 89/2007-Customs expiring on 24th July 2012 and Customs Notification No. 38/2012-Customs (ADD) being illegal for reviving an expired notification retrospectively, no anti-dumping exists on the product concerned for DGAD to review the need for continuance of anti-dumping duty.
18. Imports from subject countries held a market share of only 3% in 2009-10 and 2010-11 and a meagre 5% during POI, while on the other hand; domestic industry has held 94% market share during 2009-10 and 2010-11 and 87% market share during POR.
19. During the POI, market share of imports from subject countries increased by a mere 2%, while share of domestic industry fell by 7%. At the same time, share of imports from other countries increased from 2.9% in 2010-11 to 7.8% during the POI, which is responsible for decline in share of domestic industry.

Views of the Domestic industry

20. The domestic industry has not made any miscellaneous submissions.

Examination by the Authority

21. As regards the submission that extension of duty Notification after the lapse of duty is illegal and against the legal provisions, the Authority notes that there is no bar on the Central Government to extend the anti-dumping duty during the ongoing sunset review investigation. Other issues have been dealt with under the appropriate headings in this Disclosure Statement.

G. ASSESSMENT OF DUMPING - METHODOLOGY AND PARAMETERS

Dumping determination

G.1. Views of the Domestic industry

22. The Domestic industry, in brief, has claimed as follows:

- a. No sufficient, reasonable and reliable evidence of published price of Hexamine in the domestic market of the exporting subject countries could be traced. Under the circumstances, it is considered appropriate to construct cost of production of Hexamine in the domestic market in the subject countries.
- b. From original investigations, it would be seen that the producer in Saudi Arabia did not have sufficient domestic sales of the product under consideration and the Authority had to resort to the cost of production method to determine dumping. The petitioners believe that the consumption of Hexamine in the domestic market of Saudi Arabia continues to be negligible. For this additional reason, it would be appropriate to determine normal value in Saudi Arabia on the basis of cost of production. In the absence of actual information with regard to actual cost incurred by the producer in Saudi Arabia, the petitioners have constructed the cost of production on the basis of best estimates of the cost of production.
- c. One of the raw materials for production of hexamine is formaldehyde. Formaldehyde is produced from methanol. International prices of methanol are available as per ICIS-LOR. Petitioners have adopted prices of Methanol prevailing in Asia Pacific (S.W. Asia) as per ICIS-LOR for Saudi Arabia and prices of methanol prevailing in Europe for Russia. The price of formaldehyde has been constructed on this basis considering all other expenses as per most efficient petitioner's cost of manufacturing formaldehyde. This constructed price of formaldehyde has been

considered for determining the normal value of Hexamine in Saudi Arabia and Russia. All other raw materials, utility, manufacturing, SGA and interest costs of the most efficient petitioner have been adopted with a reasonable profit of 5% for calculating the normal value of Hexamine in the subject countries.

G.1. Views of the exporter Chemanol from Saudi Arabia

23. Chemanol has filed its questionnaire response providing all the information and the data submitted would show de-minimus/negative dumping margin for Chemanol.
24. Chemanol manufactures Hexamine from formaldehyde, which is produced in-house using methanol, which is again produced captively using natural gas. All captively produced goods are valued at actual cost. The other major raw material, Ammonia, is purchased from unrelated party in KSA. No input is imported by the company or purchased from related company.

G.2. Examination by the Authority

25. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under subsection (6), or
- ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Normal value for Saudi Arabia

Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia

26. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from Saudi Arabia, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The Authority has received only one response to the questionnaire from Methanol Chemicals Company (Chemanol). The Authority has received no other response to the questionnaire nor has there been any submission by any other producer/exporter.
27. Chemanol has submitted the information about the domestic sales price, information on exports to India & third countries along with cost of production in Saudi Arabia and other information as per the questionnaire format prescribed by the authority. The Authority has noted that domestic sales quantity of Chemanol is less than ***% of the total exports to India during POI.
28. The exporter has also requested that Normal Value may be determined in accordance with the cost of production of the product as quantity sold in domestic market does not represent the representative quantity. Therefore, the Authority has determined the Normal Value in relation to the subject goods in accordance with Section 9A (1) (c) (ii) (b).
29. The Authority has verified the data of the cooperating exporter Chemanol and constructed the normal value based on its actual cost of production of the subject goods and by adding actual profit margin. The normal value, thus, arrived at is mentioned in the Dumping Margin Table below.

Normal value for Russia

30. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from Russia, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The Authority has received no response to the questionnaire.
31. As information about the actual domestic sales price, information on individual country wise exports to third countries or cost of production in Russia and other information as per the questionnaire have not been furnished by any of the producers/exporters from Russia and thus could not be verified, the Authority has determined normal value as per the best available information.
32. The Authority notes that one of the raw materials for production of hexamine is formaldehyde. Formaldehyde is produced from methanol. The Authority has first constructed the price of formaldehyde on the basis of methanol price which has been taken from World Trade Atlas (WTA) data of imports in to India from Russia for the POI. While calculating the same, the adjustments for ocean freight, inland freight, marine insurance, port handling charges, etc. have

been taken into account. All other expenses have been taken as per most efficient petitioner's cost of manufacturing formaldehyde. Similarly, prices of Ammonia have also been taken from WTA data and due adjustments have been applied. All other expenses like utility, manufacturing overheads, SGA and interest cost etc. of the most efficient petitioner have been adopted with a reasonable profit of 5% for calculating the normal value of Hexamine in Russia. By adopting this method, the normal value is determined as US\$ ***per MT for Russia.

Export Price for Saudi Arabia

Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia

33. Chemanol has exported 419 MT of the subject goods to India during the POI. As per Appendix-2, the company has claimed the adjustments of commission (US\$ ***/MT), inland freight (US\$ ***/ MT), overseas freight (US\$ ***/ MT), overseas insurance (US\$ ***/MT), bank charges (US\$ ***/MT) and credit cost (US\$ ***/MT), the total costs before and after FOB comes to US\$ ***/MT. The adjustments from the export price have been allowed, as per actual and as verified by the Authority. Accordingly, the export price at ex-factory level is determined as US\$ ***/MT.

Non Cooperative exporters from Saudi Arabia

34. The Authority notes that no other exporter from Saudi Arabia has submitted exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority has adopted the lowest representative net export price to India of the cooperating exporters from Saudi Arabia.

Export Price for Russia

35. The Authority has relied upon the import data of DGCI&S for ascertaining the export price. To determine the ex-factory export price, adjustment on account of marine insurance @0.5%, ocean freight @70 US\$ per MT, commission @ 1%, inland freight @ 0.5%, port expenses @ 0.5% and bank charges @ 0.2% have been made. After making the adjustments, the ex-factory export price is determined as US\$ ***per MT for Russia.

Dumping Margin

36. On the basis of the normal value and export price so determined at ex-factory level, the dumping margin during the POI for all exporters/producers from both the subject countries has been determined as shown in the table below.

Exporter/Producer	Normal Value US\$/MT	Export Price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range%
Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia	***	***	***	***	0-4
All other exporters from Saudi Arabia	***	***	***	***	8-15
All exporters from Russia	***	***	***	***	(2-12)

ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

Views of Domestic industry

37. The domestic industry has submitted as follows:

- There is continued dumping of the product concerned from the subject countries;
- Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject countries should the current anti dumping duty be withdrawn;
- Volume of dumped imports has declined as a result of current anti dumping duties being in force;
- Imports from the subject countries continue to enter the Indian market at dumped prices;
- Price undercutting from both the subject countries is significantly positive;
- Performance of the domestic industry in terms of profits, return on investments, cash flow, inventories etc. has deteriorated in the current period of investigation, whereas the same should have improved after imposition of anti dumping duties;
- Despite anti dumping duty in force, the profits of the domestic industry have declined. Should the current anti dumping duties cease, the domestic industry would be forced to sell its product at a price comparable to import prices. This would mean significant financial losses, further negative return on investment and significant cash losses;

- viii) Domestic industry has been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent.
- ix) Thus, it is submitted that there is continued dumping from the subject countries and the consequent injury to the domestic industry. Further, dumping and consequent injury is likely to continue and intensify further should the current anti dumping duty cease.

Views of the exporter Chemanol

38. The exporter Chemanol has submitted as follows:

- i) Mere existence of antidumping duty for last 10 years does not mean prevalence of dumping. Since previous investigation, imports from subject countries have declined by more than half.
- ii) Domestic industry has held 94% market share during 2009-10 and 2010-11 and 87% market share during POI.
- iii) During POI, market share of imports from subject countries increased by a mere 2%, while share of domestic industry fell by 7%. This shows that it is the imports from other countries, whose share increased from 2.9% in 2010-11 to 7.8% during POI, which is responsible for decline in share of domestic industry.
- iv) Imports from subject countries constituted 8% of domestic production as well as sales during 2008-09, which came down to mere 3% during 2009-10 and 2010-11 before increasing slightly to around 6% during POR. However, during POR also, subject imports in relation to domestic production and sales are less than that of the base year.
- v) As regards the price effect of alleged dumped imports on domestic industry, it is submitted that the basic premise, that is, the import prices, on which domestic industry is claiming injury itself is wrong.
- vi) There is a difference of 41% between the import quantity for Saudi Arabia reported by domestic industry and respondent. Import price of Saudi Arabia has been deflated by domestic industry to the tune of 9% than the actual export price reported by respondent.
- vii) Given the wrong import prices adopted by the domestic industry in their petition, the resultant price underselling/injury margin will also turn out to be faulty.
- viii) There does not seem to be any logic in domestic industry's contention that it will be forced to sell at import prices of those importing countries, which are commanding only 5% of total domestic demand.

Examination by the Authority

39. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree. Regarding submission by Chemanol on declining market share, difference in import quantity and export price etc., the Authority notes that the analysis is being done on the basis of their actual data.
40. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

41. For the purpose of injury analysis the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between the dumping and injury, if any.

Volume Effect: Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry:

42. With regard to the volume of the dumped imports, it has to be examined whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the Anti Dumping Rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

43. The effect of volume of dumped imports from the subject countries has been examined as follows:

Import volume and share of the subject countries:

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI 2011-12	Post POI (Six Months)
Imports-Russia	MT	20	175	156	180	84
Imports-Saudi Arabia	MT	775	161	571	420	120
Imports-Subject Countries	MT	795	335	727	600	204
Other countries attracting anti dumping duty-Iran		-	-	-	100	-
Imports-Other countries	MT	160	306	388	1,323	910
Total Imports	MT	955	641	1,116	2,024	1,114
Import from subject countries in relation to:						
Total Imports	%	83.25	52.29	65.21	29.66	18.32
Consumption	%	7.88	2.89	6.29	4.95	3.10
Production in India	%	8.71	3.04	6.75	5.37	3.66

44. The domestic industry submitted the import data of International Business Information Services (IBIS) at the time of initiation of the investigation but the Authority subsequently obtained the transaction-wise details of imports from the DGCIS and, thus, the same has been relied upon and analysed. The DGCIS data shows that imports from the subject countries were 795 MT in 2008-09 and the same declined sharply in 2009-10 but regained to 727 MT in 2010-11. The imports from the subject countries have, however, once again decreased significantly in the period of investigation and further declined significantly in the post POI. The imports from the subject countries have decreased not only in absolute terms but also in relation to production and consumption in India between 2010-11 and the POI.

Assessment of demand and market share

45. For the calculation of the domestic consumption/demand of the product under consideration, the Authority has added sales volume of the domestic industry and other Indian producers to the total imports into India. It is noted that domestic industry has determined imports volume and value based on data collected from secondary source, i.e., International Business Information Services. The domestic industry has earlier submitted transaction wise import information in their submission. During the investigation, the Authority requested DGCIS to provide the said information on transaction to transaction basis, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the data of the DGCIS for the purpose of imports statistics with regard the quantity and price of the subject goods for the purpose of present Sunset Review.

46. Demand of the product in the country has been assessed as the sum of the domestic sales of the domestic producers and imports from all sources.

	Demand in India	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Post POI (Six Months)
i	Sales of Domestic Industry	MT	9,129	10,954	10,453	10,113	5,459
ii	Subject countries-Imports	MT	795	335	727	600	204
a	Russia	MT	20	175	156	180	84
b	Saudi Arabia	MT	775	161	571	420	120
iii	Other countries attracting duty-Iran	MT	-	-	-	100	-
iv	Other countries-Imports		160	306	388	1,323	910
v	Total Demand	MT	10,084	11,595	11,568	12,137	6,573
vi	Trend		100	115	115	120	131
	Market Share						
i	Sales of Domestic Industry	%	90.53	94.47	90.36	83.33	83.06
ii	Subject countries-Imports	%	7.88	2.89	6.29	4.95	3.10
a	Russia	%	0.20	1.51	1.35	1.48	1.28
b	Saudi Arabia	%	7.69	1.38	4.94	3.46	1.83
iii	Other countries attracting duty-Iran	%	-	-	-	0.82	-
iv	Other countries-Imports		1.59	2.64	3.36	10.90	13.84
v	Total demand/consumption	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

47. The Authority notes that the demand for the product has shown the increasing trend during the years 2009-10, 2010-11 and the POI in comparison to the base year. In general, the demand shows an increase of 20% over the injury period.

Price Effect : Price Effect of the dumped imports on the Domestic Industry

48. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules states as under:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

Price Undercutting and Price Underselling

49. During the investigation, it was examined as to whether there has been a significant price undercutting effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether there is likelihood of recurrence of price effect after revocation of duty. Since, the present investigation is a sunset review investigation, the Authority is required to consider what would be the extent of price undercutting, if the current duties are allowed to cease. In this context, the Authority has undertaken an analysis of the net sales realization, non-injurious selling price of the domestic industry and the landed price of the imports from the subject countries during the period of investigation.
50. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting and price underselling. For this purpose, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed value of imports from the subject countries. The net sales realization was arrived at by excluding excise duty, rebate, discount and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge, applicable basic customs duty and cess to the CIF value of the subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry so determined. The trend of undercutting and underselling is given below:

Russia (calculations after adding anti dumping duty)

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI-2011-12	Post POI (Six Months)
Non-Injurious Price	Rs/MT				***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	99	106	127	143
Landed Price of Imports	Rs/MT	66,305	46,846	50,630	61,023	70,505
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting%	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	(35-45)	0-10	0-12	(0-10)	(0-10)
Price Underselling	Rs/MT				***	***
Price Underselling%	%				***	***
Price Underselling Range	Range				(0-10)	(0-10)

Russia (calculations without adding anti dumping duty)

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI-2011-12	Post POI (Six Months)
Non-Injurious Price	Rs/MT				***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	99	106	127	143
Landed Price of Imports	Rs/MT	57,068	37,104	41,289	51,313	59,432
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting%	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting Range	Range	(15-20)	20-25	15-20	10-15	10-15
Price Underselling	Rs/MT				***	***
Price Underselling%	%				***	***
Price Underselling Range	Range				8-15	8-15

Saudi Arabia (calculations after adding anti dumping duty)

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI-2011-12	Post POI (Six Months)
-------------	-----	---------	---------	---------	-------------	-----------------------

Non-Injurious Price	Rs/MT				***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	99	106	127	143
Landed Price of Imports	Rs/MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting%	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	(10-20)	(10-20)	0-10	(0-10)	(0-10)
Price Underselling	Rs/MT				***	***
Price Underselling%	%				***	***
Price Underselling Range	Range				(0-10)	(0-10)

Saudi Arabia (calculations without adding anti dumping duty)

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI-2011-12	Post POI (Six Months)
Non-Injurious Price	Rs/MT				***	***
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	99	106	127	143
Landed Price of Imports	Rs/MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting%	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting Range	Range	(0-10)	(0-10)	10-20	0-10	0-10
Price Underselling	Rs/MT				***	***
Price Underselling%	%				***	***
Price Underselling Range	Range				0-10	(0-10)

51. The Authority notes that price undercutting and price underselling without ADD are positive in the POI from both the subject countries. However, the price undercutting and price underselling with ADD are negative in the POI from both the subject countries. The Authority further notes that the landed price of imports (without ADD) from both the subject countries during the POI is below the non injurious price of the domestic industry. However, the landed price of imports with ADD from both the subject countries during the POI is above the non injurious price of the domestic industry.

Price suppression/depression

52. The Authority notes that in a sunset review investigation, the Authority is required to examine whether there was a significant adverse price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether there is likelihood of significant adverse price effect in case of revocation of anti dumping duty.
53. To examine price suppression and depression effect, the Authority has examined cost of sales and selling price per unit of the domestic industry during the POI and the injury period. The trends in this regard are given in the table below:

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI 2011-12	Post POI (Six Months)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	81	95	129	143
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	98	105	128	143

54. From the above, the Authority notes that cost of sales of the domestic industry declined in 2009-10 in comparison to the base year and increased thereafter. However, in the POI, the cost of sales increased by 29 % as compared to base year. The Authority further notes that the selling price also shows the same trend. Thus, there is no major indication of price suppression/depression during the POI.

Economic parameters relating to the domestic industry

55. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down as follows:-

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

56. The volume of domestic production and effects of dumped imports on the domestic operation of the domestic industry have been examined in terms of total production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry. Capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry have been as under:-

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Post POI (Six Months)
Capacity	MT	8,800	9,800	10,800	12,000	6,000
Production	MT	9,124	11,016	10,779	11,170	5,573
Capacity Utilization	%	104	112	100	93	93
Domestic Sales	MT	9,129	10,954	10,453	10,113	5,459
Total Demand	MT	10,084	11,595	11,568	12,137	6,573

57. The Authority notes that:-

- The Domestic Industry increased its capacity to meet the increasing demand of the product in India. The production of domestic industry has also shown increasing trends in line with the increasing installed capacity and the demand for the subject goods.
- Sales volumes of the domestic industry have also increased. However, increase in sales is less than increase in demand. This situation exists despite anti dumping duty in force and enhancement of capacity.
- Capacity utilization of the domestic industry has declined in the POI in comparison to the previous years despite increase in the demand and existence of anti dumping duty.

Profits, Return on Investment and Cash Profit

58. The profits, cash flow and return on investments earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market were as under: -

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI 2011-12	Post POI (Six Months)
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	81	95	129	143
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	98	105	128	143
Per unit Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	11,824	6,529	(506)	347
Profit/ loss on Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend		100	14,186	7,475	(560)	207
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend		100	1,338	745	29	47
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend		100	2,671	1,479	14	105
Return on Investments	%	***	***	***	***	***
Trend		100	892	361	14	42

59. The Authority notes that:

- Both selling price and cost of sales have declined in 2009-10 in comparison to the base year and then increased. However, cost of production has increased more than the selling price between the year 2010-11 and the period of investigation.
- Resultantly domestic industry's profitability improved in 2009-10, but declined in 2010-11 and domestic industry suffered financial losses in the POI.
- Profit before interest and tax, cash profit and return on investment have shown a trend similar to profits.

Employment and Wages

60. The employment and wages are given in the table below:

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI 2011-12	Post POI (Six Months)
Employment	NOs	***	***	***	***	***

Trend		100	116	118	127	133
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend		100	130	140	158	162

61. The data shows that number of employees with the domestic industry increased by 27% during the POI as compared to the base year. The wages during the same period had increased by 58 %. The wages per unit of production also increased.

Productivity

62. The productivity of the domestic industry can be seen in the table below:

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI 2011-12	Post POI (Six Months)
Productivity per Employee	MT/Nos.	***	***	***	***	***
Trend		100	104	100	96	92
Productivity per Day	MT/Day	25	31	30	31	31

63. The data shows that the productivity, i.e., production per employee of the domestic industry has declined in the POI as the number of employees increased. However, per day productivity has increased in line with increase in production.

Inventories

64. The level of inventories with the domestic industry can be seen from the table below:

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI 2011-12	Post POI (Six Months)
Average Stock	MT	***	***	***	***	***
Trend		100	210	264	400	650

65. The average inventory in absolute term shows rising trend. Though the average inventory had declined in the POI as compared to previous year, 2010-11; it had increased during the POI as compared to the base year.

Growth

66. The Authority notes from the table below that the growth of the domestic industry in respect of production; sales, market share, demand, profitability and ROC had declined during the injury period.

Particulars	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Production		21%	-2%	4%
Sales		20%	-5%	-3%
Market Share		4%	-4%	-8%
Demand		15%	0%	5%
Profitability (Rs in lakh%)		14086%	-47%	-107%
ROC		792%	-60%	-96%

Factors affecting prices

67. Consideration of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market show that the landed value (without ADD) of imported subject goods from Russia and Saudi Arabia is below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting in the Indian market. It is also noted that demand for the subject goods was showing significant increase and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the major factors responsible for the domestic industry prices are the landed prices of the subject goods from the subject countries and the cost of production of the domestic industry.

Conclusion on injury parameters

68. In view of the above, it is concluded that:

- Price undercutting/underselling (without ADD) from both the subject countries is positive in the POI.
- Performance of the domestic industry in terms of profits, return on investments, cash flow, inventories etc. has declined in the POI.
- Despite anti dumping duty in force, the profits of the domestic industry have decreased.
- Further, the domestic industry has been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent.

69. The above mentioned parameters indicate that performance of the domestic industry after showing improvement in 2009-10, deteriorated from 2010-11 onwards indicating that domestic industry continues to suffer injury but the dumping margin from Saudi Arabia is negligible and from Russia it is negative despite anti dumping duty in place.

Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping & Injury

70. The domestic industry in its submissions claimed that the requirement under a sunset review is to examine whether cessation of anti dumping duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry and, therefore, any examination based on the factors listed for a threat analysis would be flawed. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine whether there is a likelihood of dumping and continuation of injury in the event of withdrawal of the duty. The Authority notes that currently the subject goods from Russia are not entering in the Indian market at dumped prices and imports from Saudi Arabia are negligible level despite anti dumping duty in place.

71. In addition to the examination of continued dumping and injury, likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry has also been examined by the Authority on the basis of information and evidence as submitted by the interested parties during the course of the investigations. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, and its application on mutatis mutandis basis, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

i) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

ii) Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

iii) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,

iv) Inventories of the article being investigated."

72. The domestic industry has provided information regarding capacity, production and demand of the subject goods of the exporting countries. The responding exporter from Saudi Arabia has also provided relevant information. The Authority, based on the data presented by the interested parties, has determined whether the exports made by the producers from the subject countries are at dumped prices. In this regard, the following data / trends have been noted by the Authority:

Excessive Capacity and Export Orientation in the Subject Countries

73. The Authority notes that the export orientation of the responding producer in Saudi Arabia is more than 100% of the installed capacity. Considering the installed capacities and production of the subject goods in Saudi Arabia, the Authority notes that the exporters in Saudi Arabia are already utilising their full capacity (more than 100%) and do not have excessive capacity. Therefore, the Authority has to now examine as to whether any percentage of the exports by Saudi Arabia to third countries are likely to be at dumped as well as injurious prices, if diverted to India. As far as Russia is concerned, the Authority notes that there is no response from any producer/exporter from Russia in the form of questionnaire response giving country wise details of exports, export price, normal value, cost of production etc. This has also not been provided by Ministry of Economic Development of the Russian Federation on behalf of the exporters. In the submissions made by Metafrax, Russia through Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Metafrax has informed that their installed capacity is 35,000 MT per annum and they exported 16,669.50 MT in 2011 to other countries including USA, Poland, China, Australia and India. From this the Authority concludes that the said exporter in Russia has export orientation as it exported almost 50% of its capacity. Other information relating to export price, normal value, etc about the producers/exporters in Russia has neither been provided by the exporters from Russia and Ministry of Economic Development of the Russian Federation nor by the petitioners. However, the Authority has been able to find the information regarding the exports from Russia to third countries in the POI from World Trade Atlas data which has been analysed by the Authority hereunder.

Price attractiveness of the Indian market

74. As can be seen from the table below, the landed value of imports from Saudi Arabia and Russia in the POI is at a price which is significantly lower than the selling price of domestic industry in the absence of prevailing anti dumping duty. The price undercutting during the POI is significantly positive in the case of both the subject countries. However, during the post POI, landed value of imports from the subject countries has increased substantially, which indicates that price undercutting in the post POI has declined substantially and export from the subject countries are coming at substantially higher price as compared to the POI.

Particulars	Unit	POI	Post POI (Six Months)
Landed Value of imports without ADD - Saudi Arabia	Rs./MT	55,714	66,549
Landed Value of imports without ADD - Russia	Rs./MT	51,313	59,432
Net selling price of Domestic Industry	Rs./MT	***	***
NIP of the Domestic Industry	Rs./MT	***	***

Dumping of exports from subject countries to third countries

75. In this regard, the information relating to exports by the subject countries to various countries globally were examined by the Authority.

Saudi Arabia

Particulars	Unit	Quantity in POI (2011-12)	Quantity in Post POI
Total volume of exports to all countries (other than India)	MT	10,091	10,144
Volume of exports at dumping prices (when compared to normal value)	MT	2,574	1,101
Volume of exports at injurious prices (when compared to NIP of the domestic industry)	MT	7,760	4,831
Share of dumped exports	%	25.51%	10.86%
Share of injurious exports	%	76.90%	47.62%

76. The information relating to exports to various countries globally were examined by the Authority country by country on the basis of questionnaire response filed by the responding producer in Saudi Arabia. Considering these prices at which exports have been made to various countries, dumping margin and injury margin were determined for these transactions after due adjustments (from FOB to ex-factory in respect of dumping margin and from FOB to landed price in case of injury margin). It is seen that the total volume of exports from Saudi Arabia to various countries globally other than India during the period of investigation was 10,190 MT. All these exports were not at dumped prices. Out of 10,190 MT exports from Saudi Arabia, 2,574 MT (i.e. 25.51%) were at dumped prices (without adding the ADD) and 7,760 MT (i.e. 76.90%) were at prices below the non injurious price of the domestic industry (without adding the ADD), in the event of their likely diversion to India. However, after analysis of post POI data, it is seen that total volume of exports from Saudi Arabia to various countries globally other than India during the post period of investigation has gone down to 10,144 MT. Out of 10,144 MT exports from Saudi Arabia, 1,101 MT (i.e., 10.86%) were at dumped prices (without adding the ADD) and 4,831 MT (i.e., 46.62%) were at prices below the non injurious price of the domestic industry (without adding the ADD), in the likely event of their diversion to India.

77. In respect of Russia, the Authority has been able to find the information regarding the exports from Russia to third countries from the World Trade Atlas Data. This data in the World Trade Atlas is available for the POI but not for the post POI. In the absence of any questionnaire response from exporters/producers of the subject goods from Russia, the data for the POI has been analysed by the Authority hereunder.

Russia

Particulars	Unit	Quantity in POI (2011-12)
Total volume of exports to all countries (other than India)	MT	15,244
Volume of exports at dumping prices (when compared to normal value)	MT	9,643
Volume of exports at injurious prices (when compared to NIP of the domestic industry)	MT	14,671
Share of dumped exports	%	63.26
Share of injurious exports	%	96.24

78. It is seen that the total volume of exports from Russia to various countries globally other than India during the period of investigation was 15,244 MT. Out of 15,244 MT exports from Russia to other countries, 9,643 MT (i.e., 63.26%) was at dumped prices (without adding the ADD) and 14,671 MT (i.e. 96.24 %) was at prices below the non injurious price of the domestic industry (without adding the ADD), in the likely event of their diversion to India. Considering the demand of 12,137 MT of the subject goods in India, the volume of exports at dumped price (63.26%) and injurious price (96.24 %) from Russia to third countries in the POI (2011-12) is considered significant.

79. From the above, the Authority notes that there are exports from Saudi Arabia and Russia, the subject countries, to third countries at dumped and injurious price if the existing anti dumping duty is revoked. However, in the case of Saudi Arabia, the volume of such dumped and injurious exports has fallen in the post POI. No information is available for Russia for post POI.

Causal link

80. The submissions made by interested parties in respect of the issue of causal link have been examined. A detailed examination was made with regards to the issues pertaining to the material injury to the domestic industry and causal link

between the material injury to the domestic industry and dumped imports. It is noted that the above facts establish that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports. Paragraph (v) of Annexure II provides as follows with regard to Causal Link:

"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the Designated Authority. The Designated Authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry."

a. Volume and prices of imports from other sources

81. It is noted that there are imports from other countries in addition to imports from the subject sources. It is noted that imports from Iran are attracting anti dumping duty. The volumes of imports from all other countries are either low or the prices from these countries are high.

b. Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

82. Demand of the product under consideration has not registered any negative growth. Instead, it has increased and shown a positive growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to the injury to the domestic industry. Further, there is no reason to believe that demand is likely to decline.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

83. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. Therefore, this factor could not have been reason to cause injury to the domestic industry

d. Development of technology and export performance

84. Technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in the coming future. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

e. Export Performance

85. The petitioning companies export some volumes of the product under consideration. However, information relating to domestic sales has been taken into consideration for assessment of injury to the extent possible.

f. Productivity of the Domestic Industry

86. Productivity of the domestic industry has shown improvement. Therefore, productivity of the domestic industry cannot be a reason to cause injury.

g. Performance of other products produced and sold by the domestic industry

87. The petitioner companies are multi product companies. The information provided for the product under consideration does not contain any information of other products. Therefore, the performance of other products did not cause any impact over injury to the domestic industry.

Magnitude of injury and injury margin

88. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports from the subject countries to determine injury margin. The injury margins (without ADD) have, thus, been worked out as follows:

Injury Margin

Particulars	Unit	Saudi Arabia-Chemanol	Saudi Arabia-All other exporters	Russia-All exporters
Non-Injurious Price	US\$/MT	***	***	***
Landed Price	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Injury Margin Range	%	0-10	0-10	10 to 20

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

89. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the

decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

90. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

J. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

J.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

91. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by Methanol Chemicals Company (Chemanol), Kingdom of Saudi Arabia. No questionnaire response was received from any exporter/producer from Russian Federation. However, the Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India made certain legal submissions on behalf of the Russian Federation and the exporters Metafrax and RMF Chemicals S.A. which have been considered in this Final Findings Notification to the extent found relevant to the investigation. They are in brief as under:

(a) Submissions by Chemanol

- i) DGAD cannot recommend continuance of an expired anti-dumping duty. With Customs Notification No 89/2007-Customs expiring on 24th July 2012 and Customs Notification No 38/2012-Customs(ADD) being illegal for reviving an expired notification no anti-dumping exists on the product concerned for DGAD to review the need for continuance of anti-dumping duty.
- ii) From the data submitted by the respondent, it would be seen that there is no dumping of subject goods into India from Saudi Arabia.
- iii) Imports from subject countries are minimal and not causing injury. Imports from non-subject countries are the major cause of injury, if any, suffered by the domestic industry. It can be observed that price underselling is negative for post POI period for imports originating from Saudi Arabia. Therefore, there is no likelihood of recurrence of injury due to imports from Saudi Arabia.
- iv) There is no likelihood of recurrence of injury to domestic industry due to imports from Saudi Arabia due to substantial depreciation in Rupee.
- v) There exists no likelihood of dumping of subject goods from Saudi Arabia. Whatever likelihood analysis is done by the DGAD is based upon the higher constructed Normal Value of subject goods
- vi) There is neither dumping nor likelihood of dumping into India from Saudi Arabia, any injury to domestic industry cannot be attributed to such imports.

(b) Submissions by Metafrax and RMF Chemicals S.A.

- vii) Metafrax is one of the biggest chemical plants not only in Russia, but in Europe as well. With production rates of Methanol: over 1 million tpa; Hexamine: 35,000 tpa; Pentaerythritol: 25,000 tpa
- viii) Hexamine is exported to more than 35 countries. No country has accused Metafrax of dumping on any product or imposed anti dumping duty in the last 30 years of foreign business.
- ix) Hexamine has been exported to India through Metafrax's exporting partner, RMF Chemicals S.A. The exports to India were at an average price of 700-730 US\$ pmt on delivery terms FCA (inland & sea freights are covered by RMF Chemicals SA).
- x) In 2011, exports to India were 312 MT out of a total export of 16,669.50 MT; comprising 1.87% of the total exports. Such small volume can by no means cause any economic injury to the Indian domestic enterprises.
- xi) The other Russian supplier, JSC "Shchekinoazot", has suspended production indefinitely from 2011 onwards. Therefore, exports from Russia to India have declined in the last two years.
- xii) Metafrax is receiving several requisitions from Indian trading companies. However, after addition of anti dumping duty the production cost becomes higher than selling price. It appears from the number of requisitions that the demand of Hexamine in India is higher than the local supplying capacity. Metafrax is interested in selling its product in close cooperation with Indian hexamine producers by means of distribution chain of the domestic companies. Metafrax is interested in meeting representatives of Ministry of Commerce and Industry to conduct negotiations with them (price undertaking).
- xiii) RMF Chemicals SA is approaching Kanoria and Simalin to propose cooperation on behalf of Metafrax under the conditions mentioned previously.
- xiv) Request to withdraw anti dumping duty on Metafrax and consider constructive dialogue with the company.

(c) Submissions by Department of Coordination, Development & Regulation Foreign Trade, Ministry of Economic Development of the Russian Federation

- xv) During the period from 2008 to 2012, the share of Russia in the Indian market did not exceed 2.7%. This figure indicates the extremely small presence on the market and cannot have an overwhelming or reducing effect on prices of Indian manufacturers.
- xvi) Moreover, data on sales prices for Russian commodity on the Indian market indicate its sustainable growth. The annual price growth as compared with 2009-10 was 13% in 2010-11 and 36% in 2011-12.
- xvii) The Indian domestic producers have expanded the production capacity from 8,000 MT in 2002-03 to 12,000 MT in 2011-12.
- xviii) Volume of domestic production has been doubled from 6,000MT in 2002-03 to 11,000 MT in 2011-12.
- xix) The sales of the domestic producers on the home market show a positive trend from 9,130 MT in 2008-09 to 10,113 MT in 2011-12 (11% growth).
- xx) The domestic producers are dominating at the market. The share of domestic producers in consumption shows positive trend. The decline of the share in 2011-12 year was 4.6% relative to 2008-09 and was insignificant.
- xxi) The domestic producers expanded export deliveries. There was practically no export in 2008-09 and 2009-10, the domestic producers exported 368 MT in 2010-11 and 962 MT in 2011-12. Export rose up to 63 times in 2011-12 relative to 2008-09.
- xxii) The indicators of capacity workload remained positive. Decrease of capacity workload in 2011-12 to 92% was caused by increase of production capacity by 2,000 MT relative to 2010-11, while consumption of commodity at the market increased from 11,118 MT in 2010-11 to 11,638 MT in 2011-12, that is only by 500.
- xxiii) The number of employees stable increased from 100 in 2008-09 to 168 in 2011-12.
- xxiv) Salary rates are also stably growing from 100 in 2008-09 to 168 in 2011-12.
- xxv) Efficiency shows stable evolution – per day growth from 25 in 2008-09 to 30 in 2011-12 and per capita shows insignificant reduction from 100 in 2008-09 to 95 in 2011-12.
- xxvi) Investments in gross fixed asset show stable growth. So, gross fixed asset increased from 100 units in 2008-09 to 183 units in 2011-12 (83% growth) and net fixed asset increased from 100 units in 2008-09 to 208 units in 2011-12 (108% growth).
- xxvii) Anti dumping duty has been in effect for more than 10 years. For this period the national industry developed production capacities, increased the production of hexamine and presently occupied predominant position in the Indian market. Growth in the above parameters testifies the absence of damage to the Indian industry at the present point in time.
- xxviii) Ascertainment of the availability of the threat of the material damage in the future relies on facts but not only on allegations, suppositions or on the remote possibility. Extension of anti dumping duty is not justified in view of the absence of the objective grounds, as a probability that the damaging will resume in case of anti dumping measure is abrogated on the results of the present review.
- xxix) The Russian side does not dispute the right of the Indian side to apply measures to protect local market. At the same time we consider that extremely important aspect is the keeping of balance between aspiration of national industry to close market from foreign products and maintaining of healthy competition on the basis of fair measures of market protection. There are no preconditions for worsening situation in industry in case of cancellation of anti dumping measure concerning imports of hexamine originating in Russia.
- xxx) The Russian side hopes that the Ministry of Commerce and Industry of India will carry out an unbiased analysis of extension of measure for another 5 years and with the above mentioned arguments will take a fair decision on results of this procedure.

J.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

92. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

- i) The disclosure statement establishes that except Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia; none of the foreign producers have cooperated.
- ii) The producers in subject countries have continued to export the product at a price which is below normal value and non injurious price. Thus, cessation of anti dumping duty shall imply significant imports into India at a dumped and injurious price.
- iii) It has not been established by the exporters that cessation of anti dumping duty shall not lead to injury to the domestic industry.
- iv) Price undercutting/underselling from both the subject countries is positive.
- v) Performance of the domestic industry in terms of profits, return on investments, cash flow, inventories etc. has declined in the POI.
- vi) Despite anti dumping duty in force, the profits of the domestic industry have decreased.

- vii) Further, the domestic industry has been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent.
- viii) If the existing anti dumping duty is revoked, there is likelihood that significant volume of exports from the subject countries would be exported to India at dumped and injurious prices, as the export price from subject countries to third countries in respect of significant volumes are at dumped price and injurious price and these would be diverted to India in the event of cessation of anti dumping duty. This volume will be substantial in comparison to the demand in India.
- ix) The dumping margin and injury margin both are quite significantly low as determined by the Authority.
- x) The volume of dumped and injurious exports from subject countries in global market are at dumped and injurious prices.
- xi) The petitioners request the Authority to kindly recommend continuation of fixed form of duty in the present sunset review, expressed as duty in US\$.
- xii) The disclosure statement thus establishes that the present anti dumping duties are required to be extended further. Petitioners request accordingly.

J.3 Examination by the Authority

93. The following is the examination by the Authority:

- i) As regards the submissions that the current exports from Saudi Arabia to India are not at dumped prices, it is noted though there is not much dumping in the POI but in a sunset review, the Authority is also required to determine dumping during current period and likelihood thereof in the event of cessation of anti dumping duties. No current dumping of the product at present does not imply that the product is unlikely to be dumped in the event of cessation of anti dumping duties. The facts have clearly established that goods from Saudi Arabia were exported to third countries at dumping and injurious prices in the POI but the volume of such exports has fallen in the post POI.
- ii) As regards substantial depreciation in Indian Rupee in the most recent period, the Authority is required to consider parameters pertaining to the investigation period. Further, temporary changes in exchange rate in the recent period are insufficient to draw any conclusion particularly when such changes in exchange rate impacts not only the product price but also the raw material prices.
- iii) It is noted that no questionnaire response in the form and manner prescribed by the Authority has been filed either by Metafrax or by RMF Chemicals SA. Even though some submissions have been made by these parties, the Authority notes that response to questionnaire in the form and manner prescribed is necessary to determine continuation or likelihood of dumping and injury to the domestic industry. In the absence of questionnaire response in the form and manner prescribed from the producers/ exporters from Russia, the Authority is constrained to make present determination based on best available information.
- iv) As regards the contention that the Russian producers have not been accused of dumping by producers in third countries, the Authority notes that the present investigations are required to be conducted in accordance with the legal provisions. The fact that no other country has taken up an anti dumping case against Russian exports does not establish no likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in case the present anti dumping duty is allowed to cease.
- v) With regard to exports to India and third country information provided by the Russian producers and adopting the same for the present purposes, the Authority notes that no country wise breakdown of exports has been given. No information on price of these exports has been provided. The information is not sufficient to establish that there is no likelihood of dumping and consequent injury in case the present anti dumping duties are withdrawn. Further, the investigation has established that significant exports of the product under consideration from Russia are at dumped prices and these exports to India shall cause injury to the domestic industry, in case the present anti dumping duties are withdrawn.
- vi) As regards the contention that Russian exports form a small proportion in total Indian imports, the Authority notes that imports from various sources are competing inter-se and with the domestic industry. It has not been established that the exports from Russia are not competing with exports by other suppliers from third countries. If Russian exports are competing in the Indian market with third countries, the same clearly establishes likelihood of intensified dumping and injury in the event of cessation of present anti dumping duties. It is noted in this regard that the responding exporter from Russia has admitted having exported significant volumes of the product to third countries.
- vii) As regards submissions concerning current performance of the domestic industry in respect of various injury parameters, the Authority notes that the current performance of the domestic industry is relevant only to decide whether the domestic industry has at present suffered injury as a result of dumped imports in the current period. Improvement in performance of the domestic industry during current injury period at best establishes that the domestic industry has at present not suffered injury. This, however, does not establish that

injury to the domestic industry is unlikely in the event of cessation of anti dumping duty. The volume and price of exports to third countries and share of dumped and injurious imports therein is relevant in deciding whether the domestic industry is likely to suffer injury in case the present anti dumping duty is withdrawn.

K. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

94. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties and facts available before the Authority and on the basis of above analysis including analysis of likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority concludes and recommends that:

- i) As far as Saudi Arabia is concerned, based on the information submitted by Chemanol and verified by the Authority, it is seen that Chemanol has exported the subject goods to India at dumped prices in the period of investigation which has caused injury to the domestic industry. The Authority, therefore, determines the level of duty for cooperative produce/exporter Chemanol, Saudi Arabia based on their verified data.
- ii) As far as Russia is concerned, the Authority concludes that in the absence of cooperation by the Russian exporters in the manner prescribed by the Authority and consequent non verification of their data, likelihood analysis is important. There is clear evidence that if the existing duties are allowed to be revoked, the volume of dumped and injurious exports of the subject goods from Russia to India are likely to increase and likely to cause injury to the domestic industry. The volume of such dumped and injurious exports is significant considering demand for the product under consideration in India. There is every likelihood of dumping and consequential injury to the domestic industry from Russia if the existing duties are allowed to be revoked.
- iii) The Authority, thus, in order to remove dumping and injury to the domestic industry from exports of the subject goods from the subject countries, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti dumping duty on all imports of the subject goods in respect of Russia as levied by the Central Government vide notification No.89/2007-Customs dated 25th July 2007 and in respect of Saudi Arabia as modified as per the duty table below.
- iv) Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from Russia and Saudi Arabia as per the duty table below.

DUTY TABLE

Sl No	Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
1	2921.2910	Hexamine	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia	Methanol Chemicals Company (Chemanol), Saudi Arabia	11.22	MT	US\$
2	-do-	-do-	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Others	Any	86.35	MT	US\$
3	-do-	-do-	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any	Others	86.35	MT	US\$
4	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any other than Saudi Arabia	Any	Any	86.35	MT	US\$
5	-do-	-do-	Any other than subject countries	Saudi Arabia	Any	Any	86.35	MT	US\$
6	-do-	-do-	Russia	Russia	Any	Any	201.70	MT	USD
7	-do-	-do-	Russia	Any other than Russia	Any	Any	201.70	MT	USD
8	-do-	-do-	Any other than subject countries	Russia	Any	Any	201.70	MT	USD

95. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
96. An appeal against the order of the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J S DEEPAK, Designated Authority